#### भाग - III

#### हरियाणा सरकार

वित्त विभाग

## अधिसूचना

दिनांक 1 फरवरी, 2018

संख्या का॰आ॰ 5/के०अ० ४०/1982/धा॰ ८९/२०18.— चिट फण्ड अधिनियम, १९८२ (१९८२ का केन्द्रीय अधिनियम ४०), की धारा ८९ की उप—धारा (२) के साथ पठित उप—धारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

#### अध्याय-I

#### प्रारंभिक

1. ये नियम हरियाणा चिट फण्ड नियम, 2018, कहे जा सकते हैं।

संक्षिप्त नाम ।

2. (1) इन नियमों में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- परिभाषाएं ।
- (क) **"अधिनियम"** से अभिप्राय है, चिट फण्ड अधिनियम, 1982 (1982 का केन्द्रीय अधिनियम 40) ;
- (ख) "परिशिष्ट" से अभिप्राय है, इन नियमों से यथा सलंग्न परिशिष्ट;
- (ग) "प्राधिकृत अभिकर्ता" से अभिप्राय है, पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम XVI), की धारा 33 में विनिर्दिष्ट रीति में निष्पादित तथा अधिप्रमाणित मुख्तारनामा द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति अथवा सम्यक् रूप से स्टाम्पित मुख्यतारनामा अथवा सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा प्ररूप XVII में विनिर्दिष्ट प्राधिकार पत्र द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति;
- (घ) "चिट लेखा—परीक्षक" से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा 61 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त कोई चिट लेखा—परीक्षक ;
- (ड़) "प्ररूप" से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप ;
- (च) "मास" से अभिप्राय है, कैलण्डर मास;
- (छ) "धारा" से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा ;
- (ज) "नगदी रहित ढंग" से अभिप्राय है, संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का केन्द्रीय अधिनियम 51) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) में यथा परिभाषित चैक, डिमांड ड्राफट का उपयोग करते हुए या इलैक्ट्रिनिक निधि अन्तरण के माध्यम से या इन्टरनेट, फोन या कार्ड संदाय का उपयोग करते हुए किया गया कोई संव्यवहार ;
- (झ) "प्रतिभूति" से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा 20 के निबन्धनोनुसार फोरमेन द्वारा दी जाने वाली प्रतिभूति।
- (2) इन नियमों में प्रयुक्त, किन्तु इनमें अपरिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो उन्हें अधिनियम में क्रमश : उन्हें दिए गए हैं।

#### अध्याय – II

#### पंजीकरण

चिट प्रारम्भ या संचालन हेतु पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन। (धारा 4).

किसी चिट के प्रारम्भ या संचालन हेतू, राज्य सरकार या इस निमित्त इसके द्वारा सशक्त अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन आधार नम्बर सहित बैंक खाता, जो अपने ग्राहक को जानो शिकायत सिडीड होनी चाहिए, के ब्यौरे देते हुए सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले रजिस्ट्रार को ऑन लाईन प्ररूप I में किया जाएगा ।

चिट प्रारम्भ या संचालान हेतु पूर्व स्वीकृति की संसूचना । (धारा 4).

किसी चिट के प्रारम्भ या संचालन हेत् पूर्व स्वीकृति प्ररूप II में सूचित की जाएगी।

चिट के प्रारम्भ या संचालन हेतु पूर्व स्वीकृति से इन्कार (धारा 4).

- जहाँ किसी चिट के प्रारम्भ या संचालन हेत् पूर्व स्वीकृति से इन्कार किया गया है, तो ऐसे इन्कार के लिए कारण अभिलिखित किए जाएंगे तथा उसकी प्रति फोरमैन को संसूचित की जाएगी ।
- ऐसी स्वीकृति के इन्कार से पूर्व, राज्य सरकार या इस निमित्त सशक्त अधिकारी, फोरमैन को, ऐसे नोटिस जारी करने की चौदह दिन की अवधि के भीतर कारण दर्शाते हुए उसे पजीकृत डाक द्वारा नोटिस जारी करेगा कि क्यों न पूर्व स्वीकृति से इन्कार किया जाए ।
- जहाँ ऐसी पूर्व स्वीकृति के प्रस्तावित इन्कार के आधार, अधिनियम या इन नियमों के अधीन भुगतान या दायर किए जाने के लिए अपेक्षित फीस के भुगतान करने या कोई विवरणी या अभिलेख दायर करने में चुक है, तो राज्य सरकार या इस निमित्त सशक्त अधिकारी, फोरमैन को सुनने के बाद तथा सन्तुष्ट होते हुए कि चूक फोरमैन के नियन्त्रण से बाहर के कारणों या देय अन्य प्रामाणिक कारणों से हुई है, तो उक्त चूक को माफ कर सकता है, बशर्ते कि ऐसी सुनवाई की तिथि को या पहले फोरमैन फीसों का भुगतान कर देता है या आवश्यक दस्तावेजों को दायर कर देता है ।

चिट करार के पंजीकरण हेत् आवेदन । (धारा 4).

किसी चिट करार के पंजीकरण हेत् प्रत्येक आवेदन प्ररूप III में किया जाएगा।

चिट करार । (धारा 6).

- अधिनियम के अधीन प्रारम्भ की गई प्रत्येक चिट का चिट करार दोहरी प्रति में होगा तथा प्रत्येक अंशदाता या लिखित में उस द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति तथा फोरमैन द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा तथा कम से कम दो साक्षियों द्वारा सत्यापित किया जाएगा तथा इसमें अधिनियम की धारा 6 के अधीन यथा निहित ब्यौरे अन्तर्विष्ट होंगे ।
  - नगदी रहित ढंग के माध्यम से संव्यवहार / भूगतान / प्राप्ति नियमों के अधीन अनिवार्य है।

चिट करार पंजीकरण का पृष्ठांकन । (धारा 7).

रजिस्ट्रार द्वारा किसी चिट करार के पंजीकरण का पृष्ठांकन प्ररूप IV में किया जाएगा । 8.

चिट करार की पंजीकरण संख्या ।

अधिनियम के अधीन पंजीकृत प्रत्येक चिट करार, प्रत्येक कैलण्डर वर्ष के लिए अलग श्रृंखला में रजिस्ट्रार द्वारा क्रमानुसार संख्यांकित किया जाएगा ।

चिट करार के पंजीकरण से इन्कार ।

यदि रजिस्ट्रार किसी चिट करार के पंजीकरण से इन्कार करता है, तो वह ऐसे इन्कार के लिए कारणों को अभिलिखित करेगा तथा आदेश की प्रति फोरमैन को संसूचित करेगा ।

(धारा 4).

- ऐसे पंजीकरण के इन्कार से पूर्व, रजिस्ट्रार, फोरमैन को ऐसा नोटिस जारी करने की चौदह दिन की अवधि के भीतर कारण दर्शाते हुए उसे नोटिस जारी करेगा कि क्यों न पंजीकरण करने से इन्कार कर दिया जाए ।
- जहाँ अधिनियम या इन नियमों के अधीन भुगतान किए जाने या दायर किए जाने के लिए अपेक्षित फीस के भुगतान में या किसी विवरणी या अभिलेख के दायर करने में चूक के लिए किसी चिट करार के पंजीकरण का इन्कार प्रस्तावित है, तो रजिस्ट्रार उक्त चूक को माफ कर सकता है, यदि वह फोरमैन की सुनवाई पर सन्तुष्ट हो जाता है कि चूक फोरमैन के नियन्त्रण से बाहर के कारणों या अन्य प्रामाणिक कारणों से हुई है, बशर्तें कि ऐसी सुनवाई की तिथि को या पहले फोरमैन फीसों का भूगतान कर देता है या आवश्यक दस्तावेजों को दायर कर देता है ।

11. संरक्षित निधि से किसी राशि का किसी कम्पनी द्वारा विनियोग हेतु रजिस्ट्रार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने लिए प्रत्येक आवेदन प्ररूप V में किया जाएगा, जो लाभ के 10 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।

संरक्षित निधि से किसी राशि के विनियोग हेतु आवेदन।

(धारा 8).

12. चिट करार में विनिर्दिष्ट किसी चिट की सभी टिकटों का पूर्णतया अभिदन्त हो जाने के बाद, फोरमैन द्वारा अधिनियम की धारा 9 की उप—धारा(1) के अधीन दायर प्रत्येक घोषणा प्ररूप VI में होगी।

अभिदन्त हो चुकी चिट के सभी टिकटों के बाद दायर की जाने वाली घोषणा । (धारा 9).

13. फोरमैन को प्रदत्त किसी चिट के प्रारम्भ का प्रमाण-पत्र प्ररूप VII में होगा।

चिट के प्रारम्भ का प्रमाण–पत्र।

(धारा 9)

14. फोरमैन द्वारा अधिनियम की धारा 10 के अधीन चिट के प्रत्येक अंशदाता को चिट करार की एक प्रति प्रस्तुत करने का प्रमाण–पत्र रजिस्ट्रार को प्ररूप VIII में देना होगा ।

चिट के अंशदाताओं को चिट करार की प्रति प्रस्तुत करने संबंधी प्रमाण-पत्र का प्रपत्र।

(धारा 10).

15. (1) (i) किसी भी चिट करार में कोई भी परिवर्तन या परिवर्धन या रद्दकरण जब तक प्रभावी नहीं होगा तब तक ऐसा परिवर्तन या परिवर्धन या रद्दकरण, जैसी भी स्थिति हो, फोरमैन तथा चिट के सभी अंशदाताओं की लिखित में सहमित नहीं ली जाती है तथा रजिस्ट्रार से भी पंजीकृत नहीं हो जाता है ।

चिट करार के परिवर्तन या परिवर्धन या रद्दकरण। (धारा 15).

- (ii) फोरमैन पंजीकरण हेतु परिवर्तन, परिवर्धन या रद्दकरण को कार्यान्वित करवाने के लिए लिखित सहमित की असली प्रति सिहत कम से कम दो साक्षियों द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित तथा सत्यापित दोहरी प्रति में किसी चिट करार में किसी परिवर्तन या परिवर्धन या रददकरण रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगा।
- (2) किसी चिट करार में परिवर्तन या परिवर्धन या रद्दकरण दायर करने के लिए आवेदन पर कार्यवाही उसी रीति में की जाएगी जैसे चिट करार दायर करने के लिए आवेदन पर की जाती है।
- (3) किसी चिट करार में परिवर्तन, या परिवर्धन या रद्दकरण, जैसी भी स्थिति हो, तब तक ऐसी पंजीकरण की तिथि से पूर्व की तिथि से प्रभावी नहीं होगा जब तक रजिस्ट्रार द्वारा अन्यथा से आदेश न किया जाएः

परन्तु रजिस्ट्रार किसी चिट करार में परिवर्तन या परिवर्धन या रद्दकरण, जैसी भी स्थिति हो, के पंजीकरण हेतु आवेदन की तिथि से पूर्व की तिथि से ऐसे परिवर्तन या परिवर्धन या रददकरण को प्रभावी नहीं करेगा ।

- (4) किसी चिट करार में परिवर्तन या परिवर्धन या रद्दकरण करार दायर करने की तिथि से प्रभावी होगा जब तक रजिस्ट्रार आक्षेप दायर करने के पन्द्रह कार्य दिवस के भीतर उस पर आक्षेप नहीं उठाता है ।
- 16. धारा 16 के अधीन किसी चिट के अंशदाता को फोरमैन द्वारा दिए जाने वाला प्रत्येक नोटिस प्ररूप IX में होगा। यह प्रत्येक अंशदाता को डाक प्रमाणित, या दस्ती वितरण, या चिट करार में यथा निहित ऐसी रीति में भेजा जाएगा, तथा फोरमैन के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा।

चिट अंशदाताओं को चिट के संचालन का नोटिस ।

(धारा 16).

17. प्रत्येक ड्रा की कार्यवाहियों के कार्यवृत में, धारा 17 की उप—धारा (2) में विनिर्दिष्ट ब्यौरों के अतिरिक्त निम्नलिखित बिन्दुओं के पूर्ण ब्यौरे होंगें, अर्थात्:—

कार्यवाहियों के कार्यवृत । (धारा 17).

- (क) पूर्व ड्रा की तिथि से, धारा 22 की उप—धारा (2) के अधीन पुरस्कार राशि के जमा, यदि कोई हो, के ब्यौरे;
- (ख) पूर्व ड्रा की तिथि से, धारा 22 की उप–धारा (1), धारा 30 की उप–धारा (1) तथा धारा 33 की उप–धारा (4) के अधीन धनराशि के जमा, यदि कोई हो, के ब्योरे;

- (ग) पूर्व ड्रा की तिथि से अनुमोदित बैंक (विनिर्दिष्ट किए जाने वाले बैंक का नाम) से प्रत्याहरण की राशि, यदि कोई हो, तथा प्रयोजन जिसके लिए राशि का प्रत्याहरण किया गया था, के ब्यौरे वार:
- (घ) चिट करार के निबन्धनों तथा टिकटों / पुरस्कार राशि के ब्यौरे के अनुसार अभिनिश्चित किया गया था पुरस्कृत अंशदाता कैसे यदि पुरस्कृत अंशदाता का अभिनिश्चित टिकट के भाग से सम्बन्धित है, तो प्रत्येक ऐसे भाग के सम्बद्ध में ब्यौरे प्रविष्ट किए जाएंगे;
- (ड़) फोरमैन को भुगतान, कमीशन, पारिश्रमिक या चिट की बैठक खर्च तथा प्रत्येक अंशदाता को दिए गए लाभांश की राशि के ब्यौरे;
- (च) अंशदाताओं तथा उनके प्राधिकृत अभिकर्ताओं के नाम, जिन्होंने ड्रा पर बोली लगाई है, उनकी टिकट संख्या तथा हस्ताक्षर।

## अध्याय — III

#### फोरमैन

18. (1) (क) अनुमोदित बैंक में नगदी रहित ढंग में जमा की गई प्रतिभूति धारा 20 की उप—धारा (1) के खण्ड (क) के उप—खण्ड (i) के अधीन रिजस्ट्रार के नाम की जाएगी, चिट करार में वर्णित अनुमोदित बैंक द्वारा जारी की गई रसीद रिजस्ट्रार को परिदत्त की जाएगी;

फोरमैन द्वारा दी गई प्रतिभूति की दशा में प्रक्रिया ।

(धारा 20).

- (ख) धारा 20 की उप—धारा (1) के खण्ड (क) के उप—खण्ड (ii) के अधीन अनुमोदित बैंक से बैंक गारण्टी की दशा में, उक्त बैंक गारण्टी रजिस्ट्रार को परिदत्त की जाएगी ।
- (2) यदि किसी चिट का फोरमैन किसी चिट के उचित संचालन के लिए प्रतिभूति के रूप में चल सम्पित देने का प्रस्ताव करता है, तो यह किसी लाक—इन—पीरियड के बिना केवल सरकारी प्रतिभूतियों या सरकारी वचन पत्रों, राष्ट्रीय बचत प्रमाण—पत्र या केन्द्रीय सरकार द्वारा, समय—समय पर, जारी अन्य समरूप बन्धपत्रों में होगी। यह रजिस्ट्रार के पक्ष में सम्यक् रूप से पृष्टांकित की जाएगी।
- (3) यदि किसी चिट का फोरमैन किसी चिट के संचालन के लिए प्रतिभूति के रूप में अचल सम्पति देने का प्रस्ताव करता है, तो वह प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत की गई सम्पति के सम्बन्ध में सही तथा पूर्ण ब्योरे स्पष्ट रूप से कथित करेगा । प्रत्येक ऐसे आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज लगाएगा,—
  - (क) इस प्रभाव का शपथ पत्र कि
    - (i) सम्पति ऋणभार मुक्त, पूर्ण स्वामित्व वाली है तथा कम्पनी के नाम हैं; तथा
    - (ii) सम्पति हरियाणा क्षेत्र में अवस्थित है;
  - (ख) सम्पति हक के दस्तावेज ;
  - (ग) राजस्व प्राधिकारियों द्वारा की गई इंतकाल की प्रति;
  - (घ) सम्बद्ध विभाग द्वारा जारी सम्पति कर रसीद या पानी बिल या बिजली बिल की प्रति;
  - (ड़) सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त पंजीकृत मूल्यांकक से मूल्यांकन रिपोर्ट; तथा
  - (च) अन्तिम दस वर्ष के लिए ऋणभार प्रमाण-पत्र ।
- (4) रजिस्ट्रार या इस निमित्त उस द्वारा सशक्त कोई अधिकारी, उक्त सम्पत्ति का निरीक्षण तथा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों का परीक्षण या की गई जाँचों से अपने आपको सन्तुष्ट करेगा कि चिट राशि का कम से कम दोगूणी वसुली के लिए प्रतिभृति पर्याप्त है।
- (5) यदि रजिस्ट्रार द्वारा प्रस्तुत की गई प्रतिभूति पर्याप्त मात्रा के रूप में स्वीकार की जाती है, तो वह प्रतिभूति प्रस्तुत करने के लिए आवदेन पर इसका टिप्पण करेगा। यदि रजिस्ट्रार द्वारा प्रस्तुत की गई प्रतिभूति स्वीकार नहीं की जाती है, तो वह उस प्रभाव का पृष्टांकन आवेदक को देगा ।
- 19. (1) जहाँ रजिस्ट्रार की राय में, किसी सम्पत्ति का किसी सक्षम अभिकरण द्वारा मूल्यांकन अपेक्षित है, तो बैंक या रजिस्ट्रार द्वारा इस निमित्त नियुक्त कोई अन्य प्राधिकारी, ऐसी सम्पत्ति के मूल्य का अनुमान करेगा तथा ऐसा मूल्यांकन अन्तिम होगा।

सम्पत्ति का मूल्यांकन । धारा 20.

- (2) ऐसे बैंक या प्राधिकारी द्वारा ऐसे मूल्यांकन हेतु मांगी गई कोई फीस या प्रभार फोरमैन द्वारा वहन किया जाएगा ।
- 20. (1) चिट प्रचलन के दौरान, फोरमैन नई प्रतिभूति द्वारा चिट के उचित संचालन के लिए उस द्वारा दी गई प्रतिभूति के प्रतिस्थापन हेतु स्वीकृति के लिए प्ररूप X में रजिस्ट्रार को आवेदन करेगा ।
- (2) रजिस्ट्रार, स्वयं को सन्तुष्ट करने के बाद, उप–नियम (1) में यथा लागू स्वीकृति प्रदान कर सकता है—,
  - (i) कि फोरमैन द्वारा आवेदनों में प्रतिभूति के प्रतिस्थापन के लिए दिए गए कारण न्यायसंगत है; तथा
  - (ii) कि प्रस्तुत की गई नई प्रतिभूति पर्याप्त है ।
- (3) नियम 19 के अधीन फोरमैन द्वारा दी गई प्रतिस्थापित प्रतिभूति इस नियम में विहित प्रक्रिया, को यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगी ।

प्रतिभूति का प्रतिस्थापन ।

(धारा 20).

प्रतिस्थापन की दशा में मूल प्रतिभूति निर्मुक्त करना । (धारा 20) 21. रजिस्ट्रार, यदि फोरमैन द्वारा इस प्रकार अपेक्षित हो, फोरमैन की लागत पर मूल प्रतिभूति के सम्बन्ध में निर्मुक्ति विलेख निष्पादित तथा रजिस्टर करेगा ।

प्रतिभूति की निर्मुक्ति हेतु आवेदन। (धारा–20) 22. चिट की समाप्ति पर, फोरमैन, उस द्वारा दी गई प्रतिभूति की निर्मुक्ति के लिये रजिस्ट्रार को आवेदन करेगा ।

फोरमैन की घोषणा । धारा 20

- 23. प्रतिभूति निर्मुक्ति के लिए आवेदन फोरमैन द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित तथा नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित शपथ पत्र के रूप में निम्नलिखित कथित करते हुए घोषणा की जाएगी, कि—
  - (i) सभी अंशदाताओं के दावों का पूर्णतया निपटान हो गया है तथा कम्पनी की तरफ उनका कुछ भी बकाया नहीं है;
  - (ii) भविष्य में चिट ग्रुप के किसी अंशदाता द्वारा प्रस्तुत की गई कोई शिकायत या दावे के लिए कम्पनी उत्तरदायी ठहराई जाएगी; तथा
  - (iii) रिजस्ट्रार या किसी अन्य अधिकारी को अधिनियम या इन नियमों के अधीन फोरमैन द्वारा भूगतान योग्य सभी बकायों का पूर्णतया भूगतान कर दिया गया है ।

प्रतिभूति की निर्मुक्ति हेतु प्रक्रिया । (धारा–20)

- 24. (1) (क) रजिस्ट्रार धारा 20 की उप-धारा (5) के अधीन प्रतिभूति की निर्मुक्ति के प्रयोजन हेतु फोरमैन से, फोरमैन द्वारा अनुरक्षित किसी धारा रजिस्टर तथा लेखों की असली प्रति की सम्यक् रूप से प्रमाणित प्रति, अन्तिम पांच नीलामियों के सम्बन्ध में अंशदाताओं (फोरमैन सिहत को किए गए भुगतान के समाशोधन के सम्बन्ध में बैंक प्रमाण-पत्र, सभी अंशदाताओं को किए गए भुगतान की विस्तृत सूची तथा चिट ग्रुप का अन्तिम तुलन पत्र प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है । रजिस्ट्रार उसके कार्यालय नोटिस बोर्ड / विभाग की वैबसाईट पर कथित करते हुए कि प्रतिभूति निर्मुक्त किए जाने के लिए प्रस्तावित है तथा कि ऐसी निर्मक्त पर आक्षेप करने वाला कोई व्यक्ति ऐसे नोटिस के प्रदर्शन की तिथि से पन्द्रह दिन के भीतर उसके आक्षेपों का विवरण, यदि कोई हो, रजिस्ट्रार के पास दायर कर सकता है, नोटिस प्रदर्शित किया जाएगा ।
- (ख ) यदि नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आक्षेप प्राप्त नहीं होता हैं, तो रिजस्ट्रार प्रतिभूति निर्मुक्त करेगा ।
- (2) यदि कोई आक्षेप प्राप्त होता है, तो रजिस्ट्रार उप—िनयम (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट नोटिस में विनिर्दिष्ट अविध की समाप्ति की तिथि के बाद एक मास के भीतर संक्षेप में आक्षेपों की जाँच करेगा तथा अपने निर्णय को अभिलिखित करेगा तथा उसकी प्रति फोरमैन तथा आक्षेपकर्ता को भेजेगा ।

फोरमैन द्वारा अनुरक्षित की जाने वाली लेखा पुस्तकें। (धारा 23)

- 25. धारा 17 में वर्णित ड्रा की कार्यवृत पुस्तक के अतिरिक्त, फोरमैन, प्रत्येक के सामने वर्णित प्ररूपों में या उसके यथा नजदीक यथा सम्भव प्ररूपों में निम्नलिखित रजिस्ट्रारों तथा लेखा पुस्तकों को रखेगा:—
  - (क) प्ररूप XI में अंशदाताओं का रजिस्टर;
  - (ख) प्ररूप XII में बही खाता;
  - (ग) प्ररूप XIII में दैनिकी;
  - (घ) दोहरी प्रति में पृष्ठों की संख्या के रूप में फोरमैन द्वारा सम्यक् रूप प्रमाणित उचित रसीद पुस्तक;
  - (ड) अंशदाताओं को फोरमैन द्वारा जारी किए जाने वाले सभी नोटिसों की प्रतियाँ अन्तर्विष्ट करते हुए पुस्तक;
  - (च) चिट करार में तथा चिट बोली में भाग लेने हेतु अंशदाता का नाम मंजूर करते हुए प्रत्येक अंशदाता का प्राधिकार पत्र अन्तर्विष्ट करते हुए फाईल;
  - (छ) फोरमैन द्वारा किए गए भुगतान हेतु बाउचरों को अन्तर्विष्ट करते हुए फाईल;
  - (ज) पुरस्कृत अंशदाताओं द्वारा प्रस्तुत की गई प्रतिभूतियों से सम्बन्धित दस्तावेजों को अन्तर्विष्ट करते हुए फाईल;
  - (झ) फोरमैन द्वारा संचालित सभी चिटों के सम्बन्ध में अनुमोदित बैंक में जमा की गई राशि दर्शाते हुए प्ररूप XIV में रजिस्टर।

**26**. (1) नियम 25 में वर्णित अंशदाताओं के रिजस्टर, बहीखाता या दैनिकी में, प्रत्येक प्रविष्टि, जब कभी ब्योरे उत्पन्न हों, दर्ज की जाएगी ।

अनुरक्षित किए जाने वाले लेखें । (धारा 23)

- (2) कोई धनराशि प्राप्त होने पर, फोरमैन द्वारा तुरन्त उचित रसीद तैयार की जाएगी अथवा तैयार करवाई जाएगी तथा भुगतानकर्ता को उपलब्ध करवाई जाएगी।
- (3) फोरमैन, प्रत्येक नोटिस जारी करते समय, यह प्रमाणित करते हुए की असली प्रति है, नियम 25 के खण्ड (ड.) के अधीन वर्णित पुस्तक में उसकी प्रति तैयार करेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा और नोटिस के प्रेषण की तिथि प्रविष्ट करेगा।
- (4) किसी भुगतान के समय पर प्रबंधकर्ता द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित बाउचर, फोरमैन द्वारा प्राप्त किया जाएगा तथा ऐसा बाउचर इसमें पृविष्ट सभी ब्योरों के सम्यक् सत्यापन के बाद नियम 25 के खण्ड (छ) में विनिर्दिष्ट फाइल में तुरन्त नत्थी किया जाएगा।
- (5) पुरस्कृत अंशदाता द्वारा दी गई प्रतिभूति से सम्बन्धित प्रत्येक दस्तावेज, इसके प्राप्त होने पर यथाशीघ्र, नियम 25 के खण्ड (ज) में वर्णित फाईल में नत्थी किया जाएगा। दस्तावेजों की जाँच—पडताल को सरलीकरण बनाने के लिए फाइल में विषय—सूची होगी।
- 27. प्रत्येक भुगतान किए जाने पर यथाशीघ्र, फोरमैन प्रबंधकर्ता से बाउचर प्राप्त करेगा। वह सत्यापित करेगा कि क्या वाऊचर प्रयोजन जिसके लिए भुगतान प्राप्त किया गया था, विनिर्दिष्ट करता है तथा क्या इसे प्रापक द्वारा उचित रूप से हस्ताक्षरित किया गया है तथा प्रत्येक कलैण्डर मास के लिए उस पर क्रम संख्या नियत करते हुए नियम 25 के खण्ड (छ) में वर्णित फाइल में इसे सुरक्षित रखेगा।

बाउचरों को दायर करना । (धारा 23)

28. (1) धारा 24 में निर्दिष्ट तुलन—पत्र के अतिरिक्त, प्रत्येक फोरमैन, या तो कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 18) के अधीन लेखा—परीक्षक के रूप में कार्यरत अर्हक लेखा—परीक्षक द्वारा या धारा 61 के अधीन नियुक्त चिट लेखा—परीक्षक द्वारा सम्यक् रूप में लेखा—परीक्षित, प्रपत्र XV में प्रत्येक कलैण्डर या वित्तीय वर्ष, जैसी भी स्थिति हो, की अन्तिम तिथि को वैयक्तिक चिट ग्रुप की आस्तियों तथा दायित्वों को दर्शाते हुए रसीद तथा भुगतान लेखा तथा विवरण भी तैयार करेगा तथा रजिस्ट्रार के पास दायर करेगा।

तुलन—पत्र प्रस्तुत करने हेतु तिथि । (धारा 24)

- (2) धारा 24 में निर्दिष्ट तुलन-पत्र, जिसके लिए यह तैयार किया गया है, के सन्दर्भ में अविध की समाप्ति से तीन मास की अविध के भीतर रजिस्ट्रार के पास दायर किया जाएगा ।
- (3) उपरोक्त उप—नियम (1) में निर्दिष्ट वैयक्तिक चिट ग्रुप की आस्तियों तथा दायित्वों को दर्शाते हुए रसीदों तथा भुगतान लेखों तथा विवरण, जिसके लिए यह तैयार किया गया है, तथा चिट की समाप्ति पर भी, के सदर्भ में अवधि की समाप्ति से दो मास की अवधि के भीतर रजिस्ट्रार के पास दायर किया जाएगा ।
- 29. धारा 26 में दिए गए उपबन्धों के अधीन रहते हुए, स्वामित्व या फोरमैन के नाम में परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन के चौदह दिन के भीतर रिजस्ट्रार को अधिसूचित किया जाएगा।

स्वामित्व तथा फोरमैन के नाम में परिवर्तन। (धारा 26)

- 30. (1) यदि कोई फोरमैन धारा 61 की उप—धारा (2) के अधीन नियुक्त किसी चिट लेखा—परीक्षक से तुलन—पत्र तथा लेखे के लाभ तथा हानि की लेख—परीक्षा, करवाने का इच्छुक है, तो फोरमैन तुलन—पत्र तैयार करने के बाद तुरन्त रिजस्ट्रार को, जिसकी अधिकारिता में चिट संचालित की गई है, विनिर्दिष्ट करते हुए कि लेखा—परीक्षा फोरमैन के परिसरों में की जाएगी या नहीं, ऐसी लेखा—परीक्षा के लिए आवेदन करेगा। आवेदन के साथ परिशिष्ट I में विनिर्दिष्ट फीस की राशि भी लगाई जाएगी।
- चिट लेखा— परीक्षक द्वारा लेखा—परीक्षा । (धारा—24)
- (2) सहायक रजिस्ट्रार जिला के लेखा—परीक्षक को आवेदन भेजेगा जो यथा सम्भव शीघ्र तुलन—पत्र तथा लेखे के लाभ तथा हानि की लेखा—परीक्षा करेगा। आवेदन की प्राप्ति पर, लेखा—परीक्षक फोरमैन से ऐसी तिथि को, समय तथा स्थान पर जैसा वह नियत करे, चिट रिकार्ड प्रस्तुत करने की मांग करेगा तथा फोरमैन तदनुसार चिट से सम्बन्धित सभी रजिस्टरों, लेखा पुस्तकें तथा अन्य रिकार्ड प्रस्तुत करेगा तथा लेखा—परीक्षक द्वारा नियत समय तथा स्थान पर, वैयक्तिक चिट का तुलन—पत्र तथा लेखे के लाभ तथा हानि तथा प्राप्ति तथा खर्च लेखा की उचित लेखा—परीक्षा हेतु ऐसी सूचना प्रस्तुत करेगा तथा ऐसी सुविधाएं देगा जो आवश्यक या अपेक्षित हों।
- (3) फोरमैन के परिसरों में लेखा—परीक्षा की तिथि से या चिट कारबार से सम्बन्धित रिजस्टरों, लेखे पुस्तकों तथा अन्य रिकार्ड प्रस्तुत करवाने हेतु, जैसी भी स्थिति हो, फोरमैन को कम से कम सात दिन का नोटिस दिया जाएगा।

चार प्रतियों में दिए जाने वाले चिट लेखा—परीक्षक का लेखा— परीक्षा प्रमाण—पत्र तथा रिपोर्ट ।

चिट लेखा— परीक्षक या अन्य लेखा— परीक्षकों द्वारा की गई लेखा— परीक्षा का तुलन पत्र दायर करने हेतु सावधि । (धारा—24)

- 31. चिट लेखा—परीक्षक चार प्रतियों में अपनी रिपोर्ट तथा लेखा— परीक्षा प्रमाण—पत्र तैयार करेगा तथा एक प्रति फोरमैन, दूसरी प्रति सहायक रिजस्ट्रार, तृतीय प्रति चिटों के निरीक्षक को भेजेगा तथा शेष प्रति उसकी अपनी फाइल में रखेगा ।
- 32. (1) जहाँ चिट लेखा—परीक्षक द्वारा लेखा—परीक्षा की गई है, तो फोरमैन चिट लेखा—परीक्षक से लेखा—परीक्षा प्रमाण—पत्र तथा लेखा—परीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति की तिथि से एक मास के भीतर या तुलन—पत्र द्वारा आवृत अविध के अन्तिम दिन से तीन मास के भीतर, जो भी पहले हो, लेखा—परीक्षा प्रमाण—पत्र तथा लेखा—परीक्षा रिपोर्ट के साथ—साथ तुलन—पत्र तथा लेखे के लाभ तथा हानि की प्रति सहायक रिजस्ट्रार के पास दायर करेगा।
- (2) कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 को केन्द्रीय अधिनियम 18) के अधीन कम्पनियों के लेखा—परीक्षक के रूप में कार्य करने में अर्हक लेखा—परीक्षक द्वारा लेखा—परीक्षा की दशा में, फोरमैन अविध, जिसके सन्दर्भ में तुलन—पत्र धारा 24 के अधीन तैयार किया गया है की समाप्ति से तीन मास के भीतर तथा नियम 30 के उप—नियम (2) में यथा निर्दिष्ट वैयक्तिक चिट की दशा में दो मास की अविध के भीतर उप—नियम (1) में निर्दिष्ट दस्तावेजों को सहायक रजिस्ट्रार के पास दायर करेगा।

#### अध्याय IV

#### चिटों का परिसमापन करना

33. किसी चिट के परिसमापन हेतु याचिका में निम्नलिखित ब्योरे दिए जाएंगे, अर्थात् :--

चिट के परिसमापन हेतु याचिका में दिए जाने वाले ब्यौरे। (धारा 49)

- (क) याचिकाकर्ता का पूरा नाम, वर्णन, व्यवसाय तथा पता;
- (ख) सभी नोटिसों की तामील प्रक्रियाओं इत्यादि हेत्, अधिवक्ता का पता, यदि कोई हो;
- (ग) फोरमैन का पता;
- (घ) चिट के ब्योरे :--
  - (i) चिट करार की पंजीकरण संख्या तथा तिथि;
  - (ii) कार्यालय जहाँ चिट करार पंजीकृत किया गया था;
  - (iii) चिट राशि;
  - (iv) टिकटों की कुल संख्या;
  - (v) अंशदाताओं की संख्या तथा निम्नलिखित फॉरमेट में प्रत्येक अंशदाता द्वारा अभिदत्त टिकटों की संख्या:—

नाम	टिकट संख्या	फोरमैन को भुगतान की गई किस्तों की संख्या	फोरमैन को भुगतान की गई अंशदान की राशि	चाहे पुरस्कृत/ अंशदत्त पुरस्कृत/ गैर-पुरस्कृत अंशदाता तथा फोरमैन की तरफ देय राशि

- (vi) याचिका की तिथि को गैर-पुरस्कृत अंशदाताओं की संख्या; तथा
- (vii) अंशदत्त पुरस्कृत अंशदाताओं की संख्या, यदि कोई हो ;
- (ड) तथ्य जिन पर याचिकाकर्ता याचिका के समर्थन में निर्भर है;
- (च) पंचाट तथा अन्य प्रक्रिया के निष्पादन से सम्बन्धित ब्यौरे जो पूर्णतः या अंशतः असन्तुष्ट होने पर वापस किए गए, यदि याचिका का आधार यह है कि फोरमैन से उसकी ओर देय राशि, जो पूर्णतः या अंशतः असन्तुष्ट होने पर वापस की गई थी, के सम्बन्ध में किसी अंशदाता के पक्ष में रिजस्ट्रार के पंचाट या आदेश पर जारी की गई अन्य प्रक्रिया का निष्पादन;
- (छ) पूर्ण विवरण दर्शाएं कि धारा 49 के परन्तुक के खण्ड (क) में विहित शर्त से सन्तुष्ट है, यदि धारा 48 के खण्ड (घ) या (झ) के अधीन चिट के परिसमापन हेतु आवेदन किया गया है; व्याख्या:—इस खण्ड के प्रयोजन हेतु, ऐसी याचिका उन गैर—पुरस्कृत अंशदाताओं तथा उन अंशदत्त पुरस्कृत अंशदाताओं द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिनका अंशदान चिट राशि के कुलयोग में, सभी गैर—पुरस्कृत अंशदाताओं तथा अंशदत्त पुरस्कृत अंशदाताओं द्वारा अंशदान की गई राशि का कम से कम पच्चीस प्रतिशत है। उसके समर्थन में पूर्ण विवरण अलग से दिया जाए ।
- (ज) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की गई है, यदि धारा 49 का परन्तुक का खण्ड (ख) लागू है (राज्य सरकार के सुसंगत आदेश की प्रति सलंग्न की जाएगी)।
- **34**. (1) रजिस्ट्रार या धारा 54 के अधीन उस द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति (जिसे, इसमें, इसके बाद ''प्रबंधकर्ता'' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) निम्नलिखित दर्शाते हुए विवरणी (जिसे, इसमें, इसके बाद, ''अनन्तिम विवरणी'' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) तैयार करेगाः—

संग्रहण तथा वितरण की प्रक्रिया ।

चिट आस्तियों के

- (क) अंशदाताओं तथा अन्य व्यक्तियों के नाम जिनसे चिट की धनराशि बकाया है;
- (धारा 54 )
- (ख) अंशदाताओं तथा अन्य व्यक्तियों के नाम जिनको चिट धनराशि प्राप्य है ;

- (ग) प्रस्ताव कैसे चिट आस्तियाँ संगृहित की जानी है तथा इसके दायित्वों के निर्वहन में लाई जानी है ; तथा
- (घ) खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति को भुगतान की जाने वाली प्रस्तावित राशि ।
- (2) अनन्तिम विवरणी के साथ उसकी प्रति तैयार करने का नोटिस ऐसी रीति, जैसा रिजस्ट्रार निदेश करें, में प्रापक द्वारा वर्णित याचिकाकर्ता, अंशदाताओं तथा अन्य व्यक्तियों को तामील किया जाएगा। यदि व्यक्तियों की संख्या अधिक है, जिनको ऐसा नोटिस तामील किया जाना है, तो रिजस्ट्रार या प्रापक, जैसी भी स्थिति हो, याचिकाकर्ता को नोटिस तामील करेगा तथा एक या अधिक स्थानीय दैनिक समाचार—पत्रों में भी ऐसा नोटिस प्रकाशित करवाएगा । नोटिस में तिथि का उल्लेख करेगा जिसको अनन्तिम विवरणी पर आक्षेप सुने जाएंगे तथा ऐसे आक्षेपों को करने वाले व्यक्तियों से मांग करेगा—
  - (i) रजिस्ट्रार या प्रबंधकर्ता द्वारा नियत तिथि से पूर्व शपथ पत्र द्वारा समर्पित आक्षेपों के विवरण तथा उसके आधार प्रस्तुत करना ;
  - (ii) उसके आक्षेपों के समर्थन में सभी साक्ष्यों सहित सुनवाई की तिथि को व्यक्तिगत या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होना ।

अनुमत किए जाने हेतु मुजराई। (धारा–52) 35. जब फोरमैन से अंशदाता को तथा अंशदाता से फोरमैन को भी धनराशि देय है, तो अंशदाता को मुजराई के लाभ की अनुमति होगी।

अन्तरिम विवरणी के आक्षेपों की सुनवाई। (धारा 54) **36**. नियम **34** के उप—नियम **(2)**के अधीन आक्षेपों की सुनवाई हेतु नियत तिथि पर, रिजस्ट्रार या प्रापक आक्षेपों, यदि कोई हो, की सुनवाई करेगा, तथा अनित्तम विवरणी का पुनरीक्षण, परिवर्तन या संशोधन करेगा, यदि आवश्यक हो, तथा अनित्तम विवरणी तैयार करेगा ।

चिट आस्तियों का संग्रहण तथा वितरण। (धारा 54 के अधीन) 37. रजिस्ट्रार या प्रापक, जैसी भी स्थिति हो, चिट आस्तियों के संग्रहण हेतु कदम उठाएगा और गैर–पुरस्कृत तथा असंदत्त पुरस्कृत अंशदाताओं में उपलब्ध चिट आस्तियों के वितरण हेतु आदेश पारित करेगा ।

परिसमापन के खर्ची हेतु उपबन्ध । (धारा 53 के अधीन) 38. चिट आस्तियों के वितरण हेतु आदेश पारित करने से पूर्व, रिजस्ट्रार या प्रापक, प्रापक हेतु पारिश्रमिक तथा खर्च की ऐसी अन्य मदों, जो परिसमापन से आनुषंगिक हैं, सहित परिसमापन की लागत की अनुमानित राशि विनिर्दिष्ट करेगा तथा ऐसी अनुमानित राशि प्रथमतः चिट आस्तियों के मूल्य हेतु उपलब्ध करवाई जाएगी और उसी से काटी जाएगी तथा शेष राशि नियम 36 के अधीन तैयार अनित्तम विवरणी के अनुसार वितरण हेतु प्रस्तावित की जाएगी ।

प्रापक द्वारा अन्तिम लेखा दायर करना। (धारा 54)

- 39. (1) प्रापक अनन्तिम विवरणी तैयार करने से पूर्व रिजस्ट्रार के पास अपना लेखा दायर करेगा तथा चिट, जिसका परिसमापन हो गया है, से सम्बन्धित उसके पास शेष धनराशि, यदि कोई हो, लेखों की सभी पुस्तकें तथा सभी अन्य रिकार्ड भी जमा करवाएगा ।
- (2) प्रापक, उसके बाद, प्रापक के रूप में कर्त्तव्यों से उन्मोचन का प्रमाण–पत्र तथा उसके द्वारा किए गए मुचलका बन्ध–पत्रों तथा प्रतिभूतियों, यदि कोई हों, को रद्द करने हेतु रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकता है। ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर, रजिस्ट्रार ऐसे उन्मोचन तथा बन्धपत्रों के रद्दकरण तथा विट आस्तियों के अनन्तिम अतिशेष के निपटान, यदि कोई हो, हेतु आदेश पारित कर सकता है।

रजिस्ट्रार द्वारा परिसमापन के अन्तिम आदेश । (धारा 56)

- **40**. (1) किसी चिट के मामलों का पूर्ण रूप से परिसमापन होने के बाद, रजिस्ट्रार ऐसे परिसमापन के तथ्य अभिलिखित करते हुए आदेश करेगा ।
  - (2) ऐसे आदेश की प्रति रजिस्ट्रार के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी ।

बैठकें । (धारा ४८) 41. जब अंशदाताओं की संख्या अधिक हो तथा रिजस्ट्रार, चाहे प्रापक के आवेदन पर या के बिना, किसी भी समय विचार करता है कि किसी मामले में सभी ऐसे पक्षकारों का दृष्टिकोण जानने के अनुक्रम में उनकी बैठक आवश्यक है, तो रिजस्ट्रार ऐसी बैठक आयोजित करने लिए आदेश पारित कर सकता है। रिजस्ट्रार, रीति जिसमें समय और स्थान जिस पर बैठक आयोजित की जाएगी, निर्देश कर सकता है तथा प्रापक तदनसार बैठक सचित करेगा तथा बुलाएगा।

## अध्याय V

#### फीस

42. धारा 62 तथा 63 में विनिर्दिष्टि मामलों हेतु रिजस्ट्रार को भुगतानयोग्य फीस परिशिष्ट I में दिए अनुसार होगी तथा नगदी रहित ढंग के माध्यम से भुगतान की जाएगी ।

फीस तालिका । (धारा 63)

43. रजिस्ट्रार, उसके द्वारा नगदी रहित ढंग के माध्यम से प्राप्त कि गई सभी फीसों की रसीदें प्रदान करेगा ।

फीसों की रसीद । (धारा 63)

44. रजिस्ट्रार, किसी फीस को वापिस करता है जो उसे विहित राशि से अधिक नकदीरहित ढंग के माध्यम से भुगतान की गई थी या कोई फीस जो अनर्जित है ।

फीस वापिस करना । (धारा 63)

व्याख्या.— इस नियम में ''फीस जो अनर्जित है'' अभिव्यक्ति से अभिप्राय है, चिट करार के पंजीकरण, दस्तावेज फाईल करने या रिजस्ट्रार द्वारा अनुपालित की जाने वाली अन्य सेवा, जहाँ ऐसा पंजीकरण या फाइल करना वास्तविक रूप से प्रभावी नहीं हुआ है या वास्तव में सेवा नहीं दी गई है, के सम्बन्ध में भुगतान की गई फीस ।

#### अध्याय VI

#### विवाद तथा विवाचन

विवाद का संदर्भ । (धारा 64) 45. धारा 64 के अधीन विवाद का सन्दर्भ प्ररूप XVI में रिजस्ट्रार को लिखित में किया जाएगा। जहाँ आवश्यक हो, रिजस्ट्रार उसे विवाद प्रस्तुत करते समय पक्षकार से सुसंगत रिकार्ड, जिस पर विवाद आधारित है, की प्रमाणित प्रति तथा उसके द्वारा यथा अपेक्षित कोई अन्य विवरण या रिकार्ड प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है।

विवाद के अस्तित्व के सम्बन्ध में रजिस्ट्रार की सन्तुष्टि । (धारा 64) 46. जहां विवाद का कोई सन्दर्भ रिजस्ट्रार को किया जाता है या कोई मामला उसके नोटिस में लाया जाता है, तो रिजस्ट्रार प्ररूप XVI में उसको किए गए सन्दर्भ, यदि कोई हो, तथा उसको प्रस्तुत किए गए सुसंगत रिकार्ड तथा विवरण के आधार पर, उसके कारणों, चाहे वह धारा 64 के अर्थ के भीतर किसी विवाद के अस्तित्व के बारे में सन्तुष्ट है या नहीं, के साथ अपना निर्णय अभिलेखित करेगा। निर्णय का ऐसा अभिलेखन रिजस्ट्रार की सन्तुष्टि का पर्याप्त सबूत होगा, चाहे मामला कोई विवाद है या नहीं, जैसी भी स्थिति हो।

नामनिर्देशिती को निपटान हेतू विवाद निदिष्ट करना (धारा 66)

- 47. (1) जहां रजिस्ट्रार की सन्तुष्टि हो जाती है कि कोई विवाद है, तो रजिस्ट्रार स्वयं विवाद का निर्णय कर सकता हैं या निपटान हेतु इसे अपने नामनिर्देशिती को निर्दिष्ट कर सकता है।
- (2) न तो रजिस्ट्रार और न ही उसका नामनिर्देशिती तब तक किसी विवाद को विचार हेतु स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि सम्बद्ध पक्षकारों द्वारा विवाद के निर्धारण हेतु नियम 53 में विनिर्दिष्ट न्यायालय फीस स्टाम्प लगाने की शर्तों की अनुपालना नहीं की जाती।

रजिस्ट्रार के नामनिर्देशिती के रूप में नियुक्ति हेतु योग्यताएं। (धारा 67) 48. रजिस्ट्रार हरियाणा सरकार के किसी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी, जो ग्रुप 'क' के रैंक से नीचे का न हो, को अपने नामनिर्देशिती के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है ।

विवादों की सुनवाई तथा निर्णय हेतु प्रक्रिया । (धारा 67)

- 49. (1) रजिस्ट्रार या उसका नामनिर्देशिती विवाद के पक्षकारों तथा साक्षियों, जो उपस्थित हों, के साक्ष्य अभिलिखित करेगा। इस प्रकार अभिलिखित किए गए साक्ष्य तथा पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किसी दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करने के बाद, उसके द्वारा लिखित निर्णय में दिया जाएगा। ऐसा निर्णय या तो खुले न्यायालय में उसी समय या भविष्य में यथा साध्य शीघ्रता से किसी दिवस को सुनाया जाएगा, जिसका सम्यक नोटिस पक्षकारों को दिया जाएगा।
- (2) जहां विवाद की सुनवाई के समय कोई पक्षकार उपस्थित नहीं होता है, तो रजिस्ट्रार या उसका नामनिर्देशिती आदेश कर सकता है कि यह चूक के लिए खारिज किया जाता है ।
- (3) जहां विवाद की सुनवाई के समय प्रतिपक्षी उपस्थित होता है तथा विवादी उपस्थित नहीं होता है तो रिजस्ट्रार या उसका नामनिर्देशिती आदेश कर सकता है कि जब तक प्रतिपक्षी दावे या उसके भाग को स्वीकार नहीं करता है, विवाद खारिज किया जाता है, जिस मामले में, रिजस्ट्रार या उसका नामनिर्देशिती, जैसी भी स्थिति हो, ऐसी स्वीकृति पर प्रतिपक्षी के विरुद्ध आदेश कर सकता है, तथा जहाँ दावे का केवल भाग स्वीकार किया जाता है, तो जहाँ तक यह शेष से सम्बन्धित है, विवाद को खारिज कर सकता है।
- (4) जहां विवाद की सुनवाई के समय विवादी उपस्थित होता है तथा प्रतिपक्षी उपस्थित नहीं होता है तो यदि रजिस्ट्रार या उसका नामनिर्देशिती रिकार्ड तथा कार्यवाहियों से सन्तुष्ट हो गया है कि समन सम्यक् रूप से तामील किया गया था, तो रजिस्ट्रार या उसका नामनिर्देशिती विवाद पर एकपक्षीय कार्यवाही कर सकता है। जहाँ रजिस्ट्रार या उसके नामनिर्देशिती के किसी कर्मचारी द्वारा समन तामील किया गया है. तो वह शपथ पर उसकी तामील की रिपोर्ट करेगा।
- (5) रजिस्ट्रार या उसका नामनिर्देशिती प्रत्येक पक्ष को उनके अनुरोध पर विवाद पर सामान्यतः दो से अधिक स्थगन प्रदान नहीं करेगा। तथापि, रजिस्ट्रार या नामनिर्देशिती अपने 108 विवेक से दूसरे पक्ष को रजिस्ट्रार या उसके नामनिर्देशिती, जैसी भी स्थिति हो, ऐसी लागत या फीस के भुगतान पर ऐसा और स्थगन प्रदान कर सकता है।
- (6) विवाद का कोई भी पक्ष परिशिष्ट I में विहित दर पर प्रति फीस के भुगतान पर रजिस्ट्रार या उसके नामनिर्देशिती द्वारा किए गए किसी आदेश, निर्णय या पंचाट की प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन कर सकता है तथा प्राप्त कर सकता है ।

विवादों के सम्बन्ध में समन, नोटिस तथा

तिथि, स्थान इत्यादि

का नियतन।

(धारा 67)

- 50. (1) रजिस्ट्रार या उसका नामनिर्देशिती, जैसी भी स्थिति हो,
  - (i) विवाद के पक्षकारों तथा साक्षियों, यदि कोई हो, की उपस्थिति; तथा
  - (ii) विवाद में मामले से सम्बन्धित सभी पुस्तकों तथा दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हुए, विवाद की सुनवाई के लिए नियत तिथि से कम से कम पंद्रह दिन पहले समन या नोटिस जारी कर सकता है ।
- (2) रजिस्ट्रार या उसके नामनिर्देशिती द्वारा जारी किए गए समन या नोटिस तामीलकर्ता या चिट फण्ड विभाग के किसी कर्मचारी या पंजीकृत डाक के माध्यम से तामील किए जाएंगे ।
- (3) समन या नोटिस तामील करने वाला कर्मचारी, उन सभी मामलों में जिनमें समन या नोटिस तामील किया गया है, समय तथा रीति, जिसमें समन या नोटिस, जैसी भी स्थिति हो, तामील किया गया था, कथित करते हुए विवरणी में, मूल समन या नोटिस, को पृष्ठांकित या संलग्न करेगा या पृष्ठांकित तथा संलग्न करवाएगा, तथा जिन व्यक्तियों को तामील किया गया है उनकी पहचान करते हुए उस व्यक्ति यदि कोई हो, का नाम तथा पता तथा समन या नोटिस की सुपुर्दगी या अदायगी के साक्ष्य का उल्लेख करेगा।
- (4) समन या नोटिस जारी करने वाला अधिकारी तामील करने वाले कर्मचारी का शपथ पर परीक्षण कर सकता है या अधिकारी, जिसके माध्यम से यह तामील किया गया है, द्वारा इस प्रकार परीक्षित करवा सकता है तथा मामले में ऐसी और जाँच करा सकता है, जैसा वह ठीक समझे, तथा या तो घोषणा करेगा कि समन या नोटिस, जैसी भी स्थिति हो, सम्यक् रूप से तामील किया गया है या इसे उस रीति में तामील करवाने के आदेश कर सकता है, जैसा वह ठीक समझे ।
- (5) उप—िनयम (1) से (4) में यथा अधिकथित समन तथा नोटिस तामील करवाने का ढंग, रिजस्ट्रार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, जब धारा 46 के अधीन कार्य कर रहे हों, द्वारा जारी किए गए नोटिस की तामील पर यथा आवश्यक परिवर्तन सिंहत लागू होगा ।
- 51. (1) जहाँ कुक्र की जाने वाली सम्पत्ति, देनदार के स्वामित्व में कृषि उत्पाद से भिन्न चल सम्पत्ति है, तो कुर्की वास्तविक अभिग्रहण द्वारा की जाएगी तथा कुर्की करने वाला अधिकारी सम्पति को अपनी स्वयं की में या अपने किसी अधीनस्थ या प्रापक, यदि कोई उप—िनयम(2) के अधीन नियुक्त किया गया है, की अभिरक्षा में रखेगा तथा उसकी सम्यक् अभिरक्षा हेतु उत्तरदायी होगा बशर्ते कि कुर्क की गई सम्पत्ति शीघ्रता से और प्राकृतिक रूप से विघटित हो रही है, या जब इसे अभिरक्षा में रखने के खर्चें इसके मूल्य से अधिक होने की सम्भावना है, तो कुर्की करने वाला अधिकारी इसका तुरन्त विक्रय कर सकता है।

धारा 68 के अधीन कुक्र की गई सम्पत्ति की अभिरक्षा हेतु प्रक्रिया। (धारा 68)

- (2) जहाँ धारा 68 के अधीन सशर्त कुर्की के आदेश करने वाले अधिकारी को न्यायसंगत और सुविधाजनक प्रतीत होता है, तो वह उस धारा के अधीन कुर्क की जाने वाली चल सम्पत्ति की अभिरक्षा हेतु प्रापक नियुक्त कर सकता है तथा उसके कर्त्तव्य तथा दायित्व सिविल प्रकिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश XL के अधीन नियुक्त प्रापक के समरूप होंगे।
  - (3) (i) जहाँ कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति अचल है, तो देनदार को किसी भी माध्यम से सम्पत्ति के अन्तरण या वसूली से रोकते हुए तथा सभी व्यक्तियों को ऐसे अन्तरण या वसूली से कोई लाभ लेने से रोकने के आदेश द्वारा कुर्की की जाएगी ।
    - (ii) आदेश की घोषणा कुछ स्थानों पर या ऐसी सम्पत्ति के साथ लगते स्थानों पर ढोल बजाकर या किसी अन्य परम्परागत ढंग से की जाएगी तथा आदेश की एक प्रति सम्पत्ति के सहजदृश्य स्थान पर या ग्राम चौपाल के सहजदृश्य स्थान पर और जिस सम्पति से राज्य सरकार को राजस्व मिलता है, उस राजस्व क्षेत्र के उपायुक्त, खण्ड विकास अधिकारी तथा तहसीलदार, जिसके अधिकार क्षेत्र में सम्पत्ति अवस्थित है, के कार्यालय में भी चिपकाई जाएगी ।
- 52. (1) धारा 68 तथा धारा 69 के अधीन रिजस्ट्रार या उसके नामनिर्देशिती द्वारा पारित प्रत्येक आदेश या पंचाट, रिजस्ट्रार द्वारा फोरमैन या सम्बद्ध पक्षकार को ऐसे अनुदेशों सिहत भेजा जाएगा कि फोरमैन या सम्बद्ध पक्षकार, जैसी भी स्थिति हो, धारा 71 के उपबन्धों के अनुसार तुरन्त निष्पादन कार्यवाहियाँ प्रारम्भ करें।

पंचाट के निष्पादन हेतु प्रक्रिया । (धारा 68)

(2) यदि पंचाट के अधीन देय राशि की तुरन्त वसूली नहीं की जाती है, या उसके अधीन आदेश कार्यान्वित नहीं किया जाता है, तो यह धारा 71 के अधीन प्रमाण—पत्र जारी करने के लिए रिजस्ट्रार द्वारा अपेक्षित सभी सूचनाओं सिहत निष्पादन हेतु आवेदन के साथ रिजस्ट्रार को भेजा जाएगा। आवेदक यह उल्लेख करेगा कि वह सिविल न्यायालय के माध्यम से या धारा 71 के अधीन यथा विहित राजस्व प्राधिकरणों के माध्यम से पंचाट का निष्पादन करवाने का इच्छुक है।

- (3) निष्पादन के लिए ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर, रजिस्ट्रार धारा 71 के अधीन उस द्वारा जारी प्रमाण–पत्र सहित निष्पादन हेतु उचित प्राधिकरण को भेजेगा।
- (4) धारा 70 के अधीन अपील में पारित प्रत्येक आदेश को उप—नियम (2) तथा (3) में अधिकथित रीति में भी निष्पादित किया जाएगा। ।

विवादों के निर्णयों हेतु फीसों का भुगतान। (धारा 69) 53. (1) रजिस्ट्रार या उसका नामनिर्देशिती दायर विवाद को केवल तभी ग्रहण कर सकता है, यदि प्ररूप XVII में ऐसे विवाद के लिए सन्दर्भ के सम्बन्ध में आवेदन के साथ निम्नलिखित ढंग से न्यायालय फीस स्टाम्प संलग्न की गई हैं, अर्थात :--

		फीस (रुपए में )
	1	2
(ক)	जब विवाद में दावे की राशि एक हजार रुपए से अधिक न हो।	पच्चीस रुपए ।
(ख)	जब ऐसी राशि एक हजार रुपए से अधिक हो किन्तु पांच हजार रुपए से अधिक न हो ।	पचास रुपए ।
(ग)	जब ऐसी राशि पांच हजार रुपए से अधिक हो।	पचहत्तर रुपए ।
(ঘ)	कोई अन्य विवाद।	एक सौ रुपए ।

(2) नीचे विनिर्दिष्ट किसी भी प्रकार का कोई भी दस्तावेज तब तक रजिस्ट्रार या उसके नामनिर्देशिती के सम्मुख दायर नहीं किया जाएगा जब तक इसके साथ निम्नलिखित दरों पर उचित न्यायालय फीस स्टाम्प संलग्न नहीं की जाती है, अर्थात :—

		फीस
	1	2
(i)	वकालतनामा	दो रुपए
(ii)	स्थगन हेतु आवेदन	दस रुपए
(iii)	अन्तरिम रोक या राहत हेतु आवेदन	पच्चीस रुपए

- (3) (क) रजिस्ट्रार या उसका नामनिर्देशिती किसी विवाद का निर्णय करते समय, रजिस्ट्रार या उसके नामनिर्देशिती को फीस के भुगतान सहित विवाद के पक्षकार या पक्षकारों से ऐसी धनराशि जमा करवाने की अपेक्षा कर सकता है, जो उसकी राय में खर्चों को पूरा करने के लिए आवश्यक हो।
  - (ख) रिजस्ट्रार या उसके नामनिर्देशिती को विवाद के निर्धारण में उपरोक्त जमा की गई राशि को हिसाब में लेने के बाद, रिजस्ट्रार द्वारा अभिकथित दरों के अनुसार, जैसा उचित समझें, फोरमैन की निधियों से फोरमैन द्वारा या विवाद के ऐसे पक्ष या पक्षकारों द्वारा भूगतान की जाने वाली फीस तथा खर्चों के आदेश करने की शक्ति होगी।
  - (ग) रजिस्ट्रार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उसको या उसके नामनिर्देशिती को भुगतान की जाने वाली फीस की दर विनिर्दिष्ट कर सकता है ।

#### अध्याय VII

#### विविध

- **54**. (1) धारा ७० या धारा ७४ की उप—धारा (1) तथा (2) के अधीन अपील लिखित में की जाएगी अपील । तथा अपील प्राधिकारी को या तो व्यक्तिगत रूप से दी जाएगी या पंजीकृत डाक द्वारा भेजी जाएगी। (धारा ७० तथा ७४) व्याख्या.— इस नियम तथा नियम ५५ के प्रयोजनों हेत्, अपील प्राधिकारी' से अभिप्राय है,—
  - (क) धारा 70 के अधीन अपील के सम्बन्ध में, राज्य सरकार;
  - (ख) धारा 74 की उप—धारा (1) तथा (2) के अधीन अपील के सम्बन्ध में, राज्य सरकार या ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सशक्त किया गया हो।
  - (2) अपील परिशिष्ट I में विहित फीस के साथ ज्ञापन के रूप में की जाएगी ।
  - (3) प्रत्येक अपील में ;
    - (क) अपीलार्थी के साथ-साथ प्रतिवादी के नाम तथा पते विनिर्दिष्ट होंगे;
    - (ख) जिसके द्वारा आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई थी;
    - (ग) साक्ष्य के ज्ञापन सहित आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, के आक्षेपों के आधारों का संक्षेप में तथा भिन्न शीर्षों के अधीन उल्लेख:
    - (घ) राहत, जिसका अपीलार्थी ने दावा किया है, का संक्षिप्त रूप में कथन;
    - (ड़) आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की तिथि देना।
- 55. (1) अपील प्राप्ति पर, अपील प्राधिकारी यथाशीघ्र इसका परीक्षण करेगा तथा सुनिश्चित करेगा कि, —

अपील की सुनवाई तथा निपटान । (धारा 74)

- (क) अपील ज्ञापन के साथ सुसंगत फीस का भूगतान किया गया है;
- (ख) अपील प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को सूने जाने का अधिकार है;
- (ग) यह विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर की गई है; तथा
- (घ) यह अधिनियम तथा इन नियमों के सभी उपबन्धों को पृष्ट करती है।
- (2) अपील प्राधिकारी के सम्मुख कार्यवाहियों में, अपीलार्थी तथा प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व मुख्तारनामा रखने वाला अभिकर्ता या अधिवक्ता कर सकता है।
- (3) अपील प्राधिकारी, की गई जाँच के आधार पर तथा परीक्षित रिकार्ड के सन्दर्भ से, अपील पर ऐसे आदेश पारित कर सकता है, जैसा वह न्यायसंगत तथा युक्ति—युक्त समझे।
- (4) उप—नियम (3) के अधीन अपील प्राधिकारी का प्रत्येक आदेश लिखित में होगा तथा इसे सम्बद्ध पक्षकारों तथा रजिस्ट्रार को संसूचित किया जाएगा।
- 56. रजिस्टरों तथा लेखा पुस्तकों सहित किसी चिट का रजिस्ट्रार रिकार्ड के कार्यालय में, -

रजिस्ट्रार द्वारा रिकार्ड रखने की अवधि । (धारा ८९ (न)

- (क) किसी चिट, जो समाप्त की गई है, के मामले में प्रतिभूति के निर्गमन की तिथि से;
- (ख) अधिनियम के अध्याय (X) में कार्यवाही की दशा में जब चिट के मामले पूर्णतः समाप्त हो गए हैं, की तिथि से; तथा
- (ग) यदि उस अध्याय के अधीन पारित आदेश अपील योग्य हैं, तो अपील के निपटान की तिथि से, आठ वर्ष के लिए परिरक्षित रखा जाएगा ।
- 57. (1) राज्य सरकार द्वारा सशक्त कोई अधिकारी, किसी व्यक्ति, जिसने अधिनियम तथा इन नियमों के अधीन कोई अपराध किया है या करने के लिए युक्तियुक्त रूप से संदिग्ध है, के विरुद्ध अधिनियम की धारा 76 या धारा 77 के अधीन कोई कार्रवाई करने से पूर्व, पंद्रह दिन की अवधि के भीतर उससे कारण पूछते हुए कि क्यों न अधिनियम की धारा 76 या धारा 77, जैसी भी स्थिति हो, के अधीन उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, उसे कारण बताओं नोटिस जारी करेगा।

अधिनियम के अधीन उत्पन्न होने वाले अपराधों का प्रशमन । (धारा 81)

- (2) उप-नियम (1) में दी गई किसी बात के होते हुए भी-
  - (i) अधिनियम या इन नियमों के अधीन किया गया अपराध या कोई अपराध किए जाने के लिए युक्तियुक्त रूप से संदिग्ध अपराध के प्रशमन के लिए धारा 81 के अधीन राज्य सरकार द्वारा सशक्त कोई अधिकारी, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए उक्त अपराध या तो अधिनियम के अधीन आपराधिक प्रक्रियाओं के संस्थापन से पहले या बाद में प्रशमन कर सकता है; बशर्ते कि अपराध के प्रशमन का उक्त प्रस्ताव सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया हो;
  - (ii) उपरोक्त निर्दिष्ट ऐसे प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए सशक्त अधिकारी द्वारा उक्त प्रस्ताव के अनुमोदन पर, अपराध के प्रशमन के लिए सशक्त अधिकारी उस निमित्त उस व्यक्ति को लिखित में सूचना भेजेगा तथा इसमें निम्नलिखित विनिर्दिष्ट किया जाएगा—
    - (क) अधिकतम 50,000 / रुपए के अध्यधीन चिट के मूल्य की 0.5 प्रतिशत राशि:
    - (ख) तिथि, जिसको या उससे पहले धनराशि का भुगतान किया जाएगा ।

गैर-पुरस्कृत अंशदाता द्वारा अंशदान की देय किस्त हेतु ब्याज की दर । (धारा 28) 58. अधिनियम की धारा 28 की उप—धारा (1) के परन्तुक के अनुसरण में चूककर्ता अंशदाता द्वारा भुगतान योग्य ब्याज की दर भारतीय रिर्जव बैंक के अनुसार प्रभावी आधार दर + 3 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी ।

# प्ररूप— I

(देखिए नियम 3)

# चिट प्रारम्भ या संचालन हेतु पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन का प्ररूप

प्रेषक				
			स्थान :	
			तिथि :	
सेवा में,				
,	रजिस्ट्रार,			
	चिट फंड,			
· <del>h</del>	१५८ ४७,			
श्रीमान जी, »				
निवासी	त्री		(फर्म क्रमानी निगम स्रो	पर अवस्थित / पंजीकृत ोसाइटी इत्यादि का नाम) के
कायालय पार निमित्त	স।		(कम, कम्पना, निगम, स होरमैन के रूप में चिट का प	प्रारम्भ या संचालन करने का
	न्धेत चिट को प्रारम्भ या संचालित	*		
z. राजा आयोजित प्रब	गन्धन समिति / निदेशक बोर्ड की बैठ	क में पारित संकल्प व	, ठी असली प्रमाणित प्रति संल	पुरा (ताज पानत पुरस्) पुरा ग्न है ।
3. मैं इर	म प्रयोजन के लिए विहित फीस		रुपए (	(अंकों में)
`	, <u> </u>	ए (शब्दों में) की धनर	 ाशि इसके साथ प्रेषित करता	. / · हूँ।
4. मैं, इ को	— सक् द्वारा, प्रमाणित करता हूँ कि रुपए (अंकों में)	मेरे द्वारा चलाई जा	रही चिटों की सकल चिट रुपए (शब्दों में) है तथा	्र राशि इस आवेदन की तिथि चिट फण्ड अधिनियम,1982
 (1982 का के	रुपए (अकों में) न्द्रीय अधिनियम ४०) की धारा 13 व	ने अधीन विहित सकल		· -
5. चिटों	की कुल चिट राशि, जिसके लिए ! है,रुपए (अंकों में)	प्रारम्भ या संचालन हेत्	र स्वीकृति पहले ही प्राप्त क	
6. चिट	राशि, जिसके लिए अब पूर्व र रुपए(शब्दों में) है	वीकृति ली जानी ह		रुपए (अकों में)
7. मैं, इ	सके द्वारा, नीचे दिए गए विवरण अ (1) के अधीन विहित प्रतिभूति प्रस्तुत	नुसार चिट फण्ड अधि	नियम, 1982 (1982 का केन्	द्रीय अधिनियम 40) की धारा
(ক)	) (i)			
	(ii)			
(ख				
(ग)		· · · · · · · · ·	0 0 .0	, · \· \n
8. दिन		थे वर्णित करें) को कर पए (शब्दों में) है ।	पनी की समादत्त पूंजी	रुपए (अंकों में)
	आपसे चिट प्रारम्भ या संचालित क आगामी कार्यवाही, ऐसी स्वीकृति प्राप			न्रता हूँ। चिट के पंजीकरण
				भवदीय
				(फोरमैन का नाम)
				फोरमैन
			(फ	र्म / कम्पनी इत्यादि का नाम)
अनुलग्नक :	शीट		(	हेतु तथा इसके निमित्त ।

# अनुलग्नक ब्यौरों का विवरण

1.	कम्पनी / व्यष्टि संगम / सहकारी समिति / भागीदारी / एकल स्वामित्व का नाम तथा पता (पंजीकृत के साथ—साथ मुख्य कार्यालय / प्रशासकीय कार्यालय, का पता, यदि कोई हो)	
2.	गठन अर्थात् चाहे कम्पनी / सहकारी सिमिति के रूप में निगमित है या पंजीकृत / अपंजीकृत व्यष्टि संगम / भागीदारी / एकल स्वामित्व (निगमीकरण / पंजीकरण की तिथि सिहत अधिनियम, जिसके अधीन निगमीकृत / पंजीकृत है, का उपबंध भी विनिर्दिष्ट करें)	
3.	शाखाओं / कार्यालयों, यदि कोई हो, का नाम तथा पता	
4.	संस्थान का मुख्य उद्देश्य (संगम के ज्ञापन तथा अनुच्छेद तथा संस्थान के क्रियाकलापों को विनियमित करने वाली उप—विधियों या नियमों की प्रति संलग्न करें)	
5.	निदेशकों या संस्थापकों / प्रबन्धन समिति के सदस्यों / भागीदारों इत्यादि, जैसी भी स्थिति हो, के नाम, व्यवसाय तथा निवास पते तथा उनके नमूना हस्ताक्षर।	
6.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रबन्धन विन्यास में उससे अगले दो अन्य अधिकारियों के नाम तथा निवास पते ।	
7.	बैंकरों के नाम तथा उनके पते ।	
8.	लेखा–परीक्षकों के नाम तथा उनके पते ।	
9.	प्रारम्भ की जाने वाली चिट (चिटों) का ब्यौरा (जैसे चिट राशि, चिट की अवधि, आहरणों की आवृति, आहरणों इत्यादि की रीति, अंशदाताओं के साथ होने वाले चिट करार के प्रारूप की एक प्रति भी संलग्न करें)	
10.	स्थान, जहाँ चिट स्कीम (स्कीमें) संचालित की जानी प्रस्तावित है/हैं ।	
11.	सहायक कम्पनियों / सहकारी समितियों / व्यष्टि संगमों / भागीदारी / एकल स्वामित्व के नाम तथा पते।	
12.	मद 11 में निर्दिष्ट संस्थानों के निदेशकों, संस्थापकों / प्रबन्धन समिति के सदस्यों इत्यादि, जैसी भी स्थिति हों, के नाम, व्यवसाय तथा निवास पते ।	

मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि इसमें तथा अनुलग्नकों में दिए गए तथ्य मेरे सर्वोतम ज्ञान, सूचना तथा विश्वास के अनुसार सत्य हैं ।

दिन	ांक दिवस		
यह	(मास), 20(वर्ष) के	के दिन को	
		नाम हस्ताक्षर	
		पदनाम	
* -		हेतु तथा के निमित्त	

यहाँ आवेदक संस्था, यदि कोई हो, का नाम प्रविष्ट करें । जो भी लागू नहीं हो, उसे काट दें ।

## टिप्पणी.-

- (i) यदि पूर्ण ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए किसी मद के सामने अपर्याप्त स्थान है, तो इस विवरण की सम्बन्धित मद के सामने क्रास सन्दर्भ चिहिनत करते हुए अपेक्षित सूचना अलग शीट में देनी चाहिए ।
- (ii) प्रत्येक नवीनतम उपलब्ध लेखा—परीक्षित / तुलन—पत्र तथा लाभ तथा हानि लेखा, यदि कोई हो, की प्रति संलग्न की जाएगी ।

# प्ररूप–II

<u> </u>	(देखिए नियम 4)		
चिट प्रारम्भ या संचालन हेतु पूर्व स	वाकृति प्रदान करन का प्ररूप		
सेवा में,			
फोरमैन,			
विषय चिट के प्रारम्भ / संचालन हेतु पूर्व	स्वीकृति ।		
श्रीमान / श्रीमती जी,			
उपरोक्त विषय पर आपके आवेव	रन संख्या	दिनांक	के
सन्दर्भ में, मैं, इसके द्वारा, नीचे दिए गए वि	विरण के अनुसार चिट के प्रारम्भ/संचालन	हेतु पूर्व स्वीकृति प्रदान करता हूँ।	
चिट राशि	चिट की अवधि	अंशदान राशि	
(रुपए में)		(रुपए में)	
	ने की तिथि से बारह मास के भीतर चिट	। ए का पंजीकरण नहीं करवाया जाता है	है तो
उपरोक्त स्वीकति समाप्त हो जाएगी ।			

भवदीय

रजिस्ट्रार,

चिट फण्ड

# प्ररूप—III (देखिए नियम 6)

# चिट करार के पंजीकरण हेतु आवेदन

		स्थान :
सेवा	में,	तिथि :
		चिट रजिस्ट्रार,
श्रीम	ान '	नी,
1.	में,	पुत्र / पुत्री / पत्नी के नाम तथा पद्धति के अधीन संचालित चिट
	_	के नाम तथा पद्धति के अधीन संचालित चिट फोरमैन होते हुए, इसके द्वारा, चिट करार के पंजीकरण हेतु आवेदन करता हूँ ।
		री प्रतियों में चिट करारों की दोनों प्रतियों पर सम्यक् रूप से पांच रुपए की स्टाम्प चिपकाई गई है ।
3.		याणा चिट फण्ड नियम, 2016 के अधीन यथा अपेक्षित पंजीकरण फीस के रूप में कम्पनी के पक्ष में खरीदी गई चिट इ. के एक प्रविधान मुख्य
	की	ा के एक प्रतिशत मूल्यरुपए (अंकों में) रुपए (शब्दों में) राशि गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर परिशिष्ट II में संलग्न है ।
4.		्र पु चिटों, जो आवेदन की तिथि को चालू तथा इसमें प्रस्तावित चिट भी शामिल हैं, की
	संर	या है तथा इसमें शामिल इन चिटों की सकल चिट राशि रुपए हैं,
	जो	चिट फण्ड अधिनियम, 1982 (1982 का केन्द्रीय अधिनियम 40) की धारा 13 में विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर है ।
5.		; जिसके लिए प्रारम्भ या संचालन हेतु पूर्व स्वीकृति पहले ही प्राप्त कर ली गई है किन्तु जिसके लिए पंजीकरण
	लो	बत है, की कुल चिट राशि रुपए (अंकों में) रुपए (शब्दों में) है ।
0		· · ·
6.		न्धित चिट के प्रारम्भ या संचालन हेतु उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन प्राप्त की गई पूर्व स्वीकृति की असली णित प्रति संलग्न है ।
7.	अंश	दाताओं की सूची (दोहरी प्रति में) उनके नामों, पिता / पित के नामों, पूर्ण पते तथा टिकट संख्या सहित संलग्न है ।
		घोषणा
8.	भैंने	चिट फण्ड अधिनियम, 1982 (1982 का केन्द्रीय अधिनियम 40) तथा इसके अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए
		मों को पढ़ लिया है तथा मैं घोषणा करता हूँ कि चिट करार उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अनुरूप
		र किया गया है ।
9.	मैं,	इसकें द्वारा, घोषणा करता हूँ कि मुझे अधिनियम के अधीन या चिट कारोबार को विनियमित करने वाले किसी अन्य
		नियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्वदोष नहीं किया गया है तथा किसी ऐसे अपराध के लिए कारावास से डत नहीं किया गया है।
10		इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि मुझे नैतिक अधमता वाले किसी अपराध के लिए सिद्वदोषी नहीं किया गया है तथा
10.		सी ऐसे अपराध के लिए कारावास से दण्डित नहीं किया गया है या कि कारावास के बाद मेरी रिहाई से पांच वर्ष की
	अ	मि समाप्त हो गई है ।
11.	7	परोक्त कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान, सूचना तथा विश्वास के अनुसार सत्य तथा पूर्ण हैं ।
		भवदीय,
		(फोरमैन का नाम)
		फोरमैन
		फर्म / कम्पनी इत्यादि का नाम) हेतु तथा इसके निमित्त ।
		લ્યુ તેમાં સ્તામ મામલ

# प्ररूप IV

(देखिए नियम 8)

किसा चिट	करार के पंजाकरण का पृ	<b>ष्ठाकन</b>		
में, इसके द्वारा, प्रमाणित करता हूँ	20		के	दिन
को फोरमैन के रूप में	(यहाँ फोरमैन का	नाम तथा पता भरा जा	- ाना चाहिए) द्वारा	—— संचालित
की जाने वाली प्रस्तावित चिट के सम्बन्ध में चिट कर	रार, 20	की चिट संख्या	Γ	के रूप
में चिट फण्ड अधिनियम, 1982 (1982 का केन्द्रीय अ	धिनियम 40) की धारा 7 व	की उप—धारा (2) के अ	ाधीन मेरे द्वारा पं	जीकृत
करवाया गया है ।				_
यदि फोरमैन आज से तीन मास के भीत टिकटों के सम्पूर्ण अंशदान की घोषणा दायर करने मे				क्षित चिट
यह	20	के	दिन को मेरे	हस्ताक्षर
तथा मोहर से प्रदत्त ।			_	
		بركينجين		
		रजिस्ट्रार		
		(मोहर)		

# प्ररूप V

(देखिए नियम 11)

# आरक्षित निधि से विनियोजन हेतु आवेदन

	स्थान :	
सेवा में,	तिथि :	
चिट रजिस्ट्रार,		
<u></u>		
श्रीमान जी,		
चिट फण्ड अधिनियम, 1982 (1982 का केन्द्रीय		
इसके द्वारा, कम्पनी की आरक्षित निधियों से आह में)रुपए—(शब्दों में) की धन रा	हरण	रूपए (अका प्टना है । यह भारतम
निम्नलिखित परिस्थितियों के लिए आवश्यक हो गया है ।	ारा का विभिन्न वर्गरा का अनुसादन समा व	ार्टसा हू । यर जार्टरन
(यहाँ उन परिस्थितियों का उल्लेख करें, जिनके	अधीन आरक्षित निधि से आहरण करना आवश्य	क हो गया है) ।
2. मैं, अन्तिम दो लेखा वर्षों का लाभ तथा हा		
	पत्र तथा लाभ तथा हानि लेखा का प्रोफारमा	
सलग्न करता हूँ । आरक्षित निधि से उक्त धनराशि के 1		
करें) को प्रबन्धन समिति / निदेशक मंडल द्वारा पारित संव	कल्प की असली प्रति भी सलग्न है। मुझे, आप	के द्वारा यथा आपेक्षित
और सूचना देने में भी खुशी होगी ।		
3. मैं, इसके साथ, प्रयोजन हेतु विहित फीस		रुपए(अंकों में)
, ,	ाराशि (न्यायालय फीस स्टाम्प के रूप में) प्रेषित	ε,
4. मैं प्रमाणित करता हूँ कि आरक्षित निधि से उपर		
चलाई जा रही चिटों की सकल राशि अधिनियम 40), की धारा 13 के अधीन विहित सीमा के भी		982 (1982 का कन्द्राय
•		
5. यदि आप हमें आरक्षित निधि से की धनराशि के प्रत्याहरण की स्वीकृति प्रदान करे तो मुझे	रुपए (अर्का म)	रुपए(शब्दा म)
का वनसारा के प्रत्याहरण का स्वाकृत प्रदान कर सा नुझ	थुरा। हागा।	
	भवदीय,	
	(फोरमैन )	
	फोरमैन का नाम	
	(फर्म / कम्पनी का ना	म)
	हेतु या इसके निमित्त	,

# प्ररूप VI

(देखिए नियम 12)

# चिट टिकटों के सम्पूर्ण अंशदान की घोषणा

			स्थानः
सेवा में,			तिथि:
	चिट रजिस्ट्रार,		
श्रीमान जी,			
आपके	पत्र क्रमांक	दिनांक	द्वारा
आपने	मास की अवधि की	<u> </u>	रुपए की राशि वाली नई
चिट के प्रारम्भ/	⁄ संचालन के लिए पूर्व स्वीकृति दी थी ।		
2.	मैंने उसके बाद अपेक्षित संख्या में सदस्य	सूचीबद्ध दिए हैं तथा मैं, इसके द्व	ारा, चिट फण्ड अधिनियम, 1982
•	ोय अधिनियम 40), की धारा 9 की उप—धारा	(1) के निबन्धनों में घोषणा करता	। हूँ कि चिट करार में विनिर्दिष्ट
टिकटों को पूर्ण	रूप से मंजूर किया गया है ।		
3.	मैं, इसके साथ, इस घोषणा		9
फीस	रुपये (अंकों में)	रुप	ए(शब्दों में) प्रेषित करता हूँ ।
			भवदीय,
		(	(फोरमैन का नाम)
			फोरमैन
		(प	oर्म / कम्पनी का नाम)
		 हेत्	तु या इसके निमित्त ।

## प्ररूप VII

(देखिए नियम 13)

# चिट प्रारम्भ का प्रमाण-पत्र चिट रजिस्ट्रार कार्यालय

स्थान : दिनांक :

सन्तुष्टि होने पर कि पूर्व स्वीकृति, चिट पंजीकरण तथा अन्य मामलों से सम्बन्धित सभी अपेक्षाओं की फोरमैन द्वारा सम्यक् रूप से अनुपालना की गई है, अर्थात्:—

\_\_\_\_\_\_ प्रारम्भ का प्रमाण–पत्र, इसके द्वारा, चिट के सम्बन्ध में उक्त फोरमैन को प्रदान किया जाता है, जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए है :--

चिट पंजीकरण	अंशदाताओं की संख्या	किस्तों की संख्या	चिट राशि	चिट के प्रथम ड्रॉ या नीलामी
संख्या			(रुपयों में)	हेतु नियत तिथि

रजिस्ट्रार, चिट निधियाँ (मोहर)

# प्ररूप VIII

(देखिए नियम ४२)

# चिट के प्रत्येक अंशदाता को चिट करार की प्रति प्रस्तुत करने का प्रमाण-पत्र

सेवा में,	
	चिट रजिस्ट्रार,
श्रीमान जी,	
	<b>Ϋ</b> ,
	चिट कम्पनी का फोरमैन, इसके द्वारा, प्रमाणित करता हूँ कि, 20 र्क
पंजीकरण संख्या	धारक चिट ग्रुप के सम्बन्ध में चिट के प्रथम ड्रॉ की तिथि से पूर्व असल प्रति के रूप में मेरे
द्वारा सम्यक् रूप	से सत्यापित चिट करार की प्रति चिट के प्रत्येक अंशदाता को प्रस्तुत की गई है ।
	धारा 9 की उप—धारा (2)के अधीन प्रदान किए गए उक्त चिट के प्रारम्भ प्रमाण—पत्र प्राप्त करने की
तिथि	है ।
	उक्त चिट का प्रथम ड्रॉ दिनांकको आयोजित किया गया था ।
	भवदीय,
	(फोरमैन का नाम) कम्पनी का फोरमैन
	(फर्म / कम्पनी हेतु या इसके निमित्त)
स्थान : दिनांक :	

# प्ररूप IX

(देखिए नियम	16)
-------------	-----

	(વાલણ 1નયમ 16)						
चिट संख्या	20	–के अंशदाताओं को सूचना					
सेवा में,							
(अंशदाता का नाम तथा पता	)						
श्रीमान जी,							
आपको सूचित किया जाता है कि	चिट संख्या	20	का				
मासिक / त्रैमासिक / अर्ध—वार्षिक / वार्षिक		_ड्रॉ, जिसमें आप एक अंशदाता	हैं,				
	_(पता) पर पूर्वाह्न/ अपराहन		_बजे				
मास	20	के	_दिन				
को आयोजित किया जाएगा ।							
कृपया व्यक्तिगत रूप में या अपने स	म्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्त्ता	द्वारा उपरोक्त ड्रॉ पर उपस्थित हों ।					
		भवदीय					

(कम्पनी का फोरमैन) फोरमैन का नाम

फर्म / कम्पनी हेतु या इसके निमित्त

रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर

# प्रपत्र X

{देखिए नियम 20(1)}

# प्रतिभति के प्रतिस्थापन हेत आवेदन

	ત્રાંતનાત એ ત્રાંતત્ત્વાનન કહ્યું આવેલન	
		स्थानः
		दिनांक:
सेवा में,		
	चिट रजिस्ट्रार,	
श्रीमान जी,		
के द्वारा) पूर्व प्रस्ताव करता	मैं, चिट, जिसके संचालन हेतु आप द्वारा (संख्या दिनांक स्वीकृति प्रदान की गई थी, के उचित संचालन हेतु मूल प्रतिभूति के प्रतिस्थापन में नीचे वि हूं । कतिपय अन्य ब्योरे भी नीचे दिए गए हैं :–	ति प्रतिभूति देने का
1.	फोरमैन का नाम :	
2.	यदि फोरमैन कोई फर्म या कम्पनी :	
	नहीं है, तो आयु तथा व्यवसाय :	
3.	कार्यालय, जिसमें चिट का चिट करार पंजीकृत है तथा पंजीकरण की संख्या तथा वर्ष :	
4.	चिट राशि :	
5.	दी गई मूल प्रतिभूति का विवरण :	
6.	प्रतिस्थापित प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत की गई प्रतिभूति का विवरण :	
7.	मूल प्रतिभूति के प्रतिस्थापन हेतु कारण :	
तथा विः	में, इसके द्वारा, घोषणा करता हूँ कि इसमें प्रस्तुत की गई सूचना तथा विवरण मेरे स् खास के अनुसार सत्य तथा सही है ।	र्वोत्तम ज्ञान, सूचना
	भवदीय,	
	(फोरमैन का न	ाम)
	कम्पनी का फोर	रमैन
	कम्पनी / फर्म हेतु या इ	सके निमित्त
	रजिस्ट्रार का निर्णय	

(मोहर)

# प्ररूप XI

{देखिए नियम 25 (क)}

# अंशदाताओं के रजिस्टर का प्ररूप

	कार्यालय,	जहाँ	चिट	का	चिट	करार	पंजीकृत	है								
							चिट					पंजीकरण				
वर्ष								f	केस्त क	ग समनु	देशन	किस्तों की	संख्या	प्रथम र्न	ोलामी की	तिथि
										_						

# चिट का अंशदान

चिट करार के अनुसार क्रम संख्या	अंशदाता का नाम तथा पूरा पता	चिट करार हस्ताक्षरित करने की तिथि	अंशदाता द्वारा चिट करार की प्रति की प्राप्ति की तिथि	रखी गई टिकटों की संख्या	रखी गई टिकटों की राशि (रुपए में)
1	2	3	4	5	6

# चिट का समनुदेशन

समनुदेशिती का नाम तथा पता	समनुदेशन की तिथि	टिकटों की संख्या	समनुदेशित टिकटों की राशि	तिथि, जिसको फोरमैन ने समनुदेशन को मान्यता प्रदान की है
7	8	9	10	11

# अंशदाता को हटाना

हटाए जाने का कारण	हटाए जाने की तिथि	अधिनियम की धारा 28 (1) के अधीन अंशदाता को हटाए जाने के नोटिस की तामील की तिथि	अधिनियम की धारा 28 (2) के अधीन रजिस्ट्रार के पास प्रविष्टि की असल प्रति दायर करने की तिथि	अधिनियम की धारा 28 (4) के अधीन अपील, यदि कोई हो, पर रजिस्ट्रार का निर्णय
12	13	14	15	16

# चिट का प्रतिस्थापन

प्रतिस्थापन की तिथि	अधिनियम की धारा 29 की उप—धारा (2) के अधीन प्रविष्टि की असल प्रति दायर करने की तिथि	टिकट की संख्या	टिकट की राशि		को अपर की गई
17	18	19	20	21	22

विस्तृत विवरण सहित बैंक में जमा करवाई गई राशि की तिथि	व्यतिक्रमी के अन्तिम भुगतान की तिथि	टिप्पणी	
23	24	25	

# प्ररूप XII

{देखिए नियम 25 (ख)}

# बहीखाता का प्ररूप

							वलाखार	11 471	9 (0) H						
कार्यालय,	, जहाँ चि	ाट व	n चिट करा <sup>,</sup>	र पंजीकृ	ृत है _										
			रण संख्या _					_							
भाग—I—	अंशदाता	के र	प्तम्बन्ध में प्रा	प्तयाँ त	था भुग	तान_									_
अंशदाता	की संख्य	गः								पुरस्कार	की वि	तेथि :			
अंशदाता का नाम :								नीलामी की तिथि :							
पिता / पी	ते का ना	म	:							पुरस्कार	राशि	:			
दूरभाष संख्या सहित कार्यालय पता :										बोली :					
दूरभाष संख्या सहित निवास पता :										प्रारम्भ र	की तिशि	थे :			
ली गई टिकटों की संख्या :										समाप्ति	की ति	थि :			
चिट राशि	Τ:									मास त	था मारि	प्तक वि	केस्तः		
तिथि	तेथि किस्तों की संख्या प्राप्ति संख			या	ग चैक संख्या सहित विवरण			किस्त संख्या			अंश	प्रत्येक किस्त हेतु अंशदान की राशि (रुपए में)			
1			2		3			4		5			6		
प्रत्येक से 3 को लाभांश	किस्त अंशदाता देय	भुग	गदाता द्वारा गतान की राशि	वापस	ाता द्व प्राई राष्ट्रि	ाप्त	दैनिक बही ब्याज में सामान्य (ऋण संख्या			ज ण / जमा)	फोरमैन हस्ताक्षर			के	अंशदाता द्वारा वापस प्राप्त की गई राशि
7		8		9			10		11			12			13
				·					ı					I	
अतिशेष	(ऋण/	जमा	·)				अंशदात	ग के ह	रताक्ष	र					
14							15								
			जमा तथा												
बैंक का	नाम, जिर	प्तमें ध	धनराशि जमा	करवाई	र्गई है	<u>}</u>									
तिथि	जिस प्रयोजन हेतु ज करवाया गया	नमा T	जमा करवाई गई राशि (रुपए में)	उपार्जि ब्याज (रुपए	में)	प्रत्ये अन्त के अति	रण बाद	प्रत्याह की राशि	रण गई	अतिशेष	दैनि बही संख	में	फोरमैन हस्ताक्ष		टिप्पणी

आहरण किया गया

## प्ररूप XIII

{देखिए नियम 25(ग)}

#### दैनिक बही का प्ररूप

4/(1/ 4/1	191147					 <del>20</del> 25	 	
करार की	पंत्तीकरण	संख्या						
कार्यालय,	जहाँ चिट	का चिट	करार	पंजीकृत	है .	 		

#### दानक बहा

तिथि	सामान्य संख्या	जिस लेखे में प्राप्त किया या भुगतान किया गया
(1)	(2)	(3)

#### प्राप्तियां

अंशदान	ब्याज	बैंक से प्रत्याहरण	अन्य मदें	कुल प्राप्तियाँ
(रुपए में)	(रुपए में)	(रुपए में)	(रुपए में)	(रुपए में)
(4)	(5)	(6)	(7)	

#### सन्दर्भ भुगतान

प्राप्ति पर

प्राप्ति बही में (रुपए में)	अंशदाता को अदा की गई राशि (रुपए में)	फोरमैन का कमीशन (रुपए में)	बैंक में जमा (रुपए में)	अन्य मदें
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

कुल भुगतान	अतिशेष	बाउचर की फाईल में बाउचर की पृष्ठ संख्या का सन्दर्भ	फोरमैन के हस्ताक्षर	टिप्पणी
(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

## टिप्पणी .-

- प्रत्येक दिन की समाप्ति पर खाना (15) में अतिशेष काटा हुआ होना चाहिए । प्राप्तियों तथा भुगतानों का कुल 1. मासिक प्रत्येक मास की समाप्ति पर काटा जाएगा ।
- खाना (2) में, प्रत्येक अन्तरण को क्रम संख्या दी जाएगी । प्रत्येक कलैण्डर वर्ष के लिए क्रम संख्या का एक अलग सेट होगा।
- यदि कोई राशि किसी समय पर एक से अधिक अंशदाता से प्राप्त की गई है या उन्हें भुगतान की गई है, तो 3. प्रत्येक अंशदाता को भुगतान की गई या उससे प्राप्त की गई राशि अलग मद के रूप में प्रविष्ट की जाएगी ।
- यदि किसी समय अंशदाता से एक से अधिक राशि प्राप्त की गई है या उसे भुगतान की गई है, तो प्रत्येक 4. अंशदाता को भुगतान की गई या उससे प्राप्त की गई प्रत्येक राशि अलग मद के रूप में प्रविष्ट की जाएगी ।

# प्ररूप XIV

{देखिए नियम 25(झ)}

फोरमैन	द्वारा	सचालित	सभी	चिटी	क	सम्बन्ध	म	अनुमादित	बैको	म	जमा	राशि	दशति	हुए	रजिस्टर	का	प्ररूप
_																	

कार्यालय, जहाँ चिट करार पंजीकृत है	-
चिट करार के पंजीकरण का पंजीकरण संख्या तथा वर्ष_	
अंशदाताओं, पुरस्कार राशि तथा जमा राशि का विवरण_	

चिट करारों के अनुसार क्रम संख्या	अंशदाता का नाम तथा पूरा पता	किस्तों की संख्या तथा ड्रॉ की तिथि	पुरस्कार राशि से काटी की गई भावी अंशदान की राशि	असंदत्त पुरस्कार राशि की राशि	अनुमोदित बैंक का नाम तथा जमा की गई राशि	जमा की तिथि
1	2	3	4	5	6	7

#### प्ररूप XV

(देखिए नियम 28)

# चिट ग्रुप की प्राप्ति तथा भुगतानों का लेखा तथा परिसम्पतियों और देनदारियों की विवरणी

फोरमैन का नाम :

(	i١	) कार्यालय	त्तहाँ	ਜ਼ਿਟ	क्रगर	पंत्तीकत	술	
1	١,	पगपालप	OIDI	190	47515	401147(1	G	٠

- (i) चिट करार की पंजीकरण संख्या तथा वर्ष
- (ii) जिस तिथि को तुलन-पत्र तैयार किया गया था :
- (ii) फोरमैन का नाम
- (iii) तुलन-पत्र की तिथि तक संचालित किस्तों की संख्या
- (iii) चिट राशि
- (iv) किस्तों की संख्या

# 1. प्राप्तियाँ तथा भुगतान

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष (रुपए)	पूर्ववर्ती वर्ष सहित कुल (रुपए)	भुगतान	चालू वर्ष (रुपए)	पूर्ववर्ती वर्ष सहित कुल (रुपए)
1	2	3	4	5	6

- 1. फोरमैन सहित पुरस्कृत तथा गैर—पुरस्कृत अंशदाताओं द्वारा भुगतान किया गया अंशदान
- 2. लाभाशं के अधीन प्राप्तियां
- 3. अंशदाताओं से वसूल किया गया ब्याज
- 4. व्यतिक्रमियों को बकाया के सम्बन्ध में प्रतिस्थापित या समनुदेशिती गैर—पुरस्कृत अंशदाताओं द्वारा अंशदान
- 5. अंशदाताओं से प्राप्त की गई कोई अन्य राशि
- पुरस्कार राशि (या अंशदानों के बकाया हेतु) के भुगतान हेतु फोरमैन द्वारा दी गई अंशदान राशि
- 7. निवेश के लिए फोरमैन द्वारा अंशदान दी गई राशि
- निवेश से प्रोद्भूत ब्याज
- 9. अन्य मदें
- 10. प्रत्याहरण निवेश

- पुरस्कृत अंशदाताओं को वितरित की गई पुरस्कार राशि
- 2. अंशदाताओं को भुगतान किया गया ब्याज
- 3. व्यतिक्रम गैर—पुरस्कृत अंशदाताओं को भुगतान की गई राशि
- पुरस्कार राशि के भुगतान हेतु फोरमैन द्वारा दी गई अंशदान राशि
- 5. फोरमैन का कमीशन
- 6. लिम्बत भुगतानों तथा जब्त किए गए लाभांश हेतु वसूल किए गए ब्याज की राशि
- 7. भुगतान किया गया लाभाश
- 8. ऋण भोधन निधि
- 9. बकायों पर भुगतान योग्य लाभांश
- 10. अन्य मदें
- 11. किया गया निवेश (प्रोद्भूत ब्याज सहित)

	_
_	

#### II- परिसम्पतियों तथा देनदारियों की विवरणी

	परिसम्पतियाँ रुपए / पैसें	देनदारियाँ रुपए/पैसे
1	बकाया अंशदान (भुगतानयोग्य लाभांश सहित) के कारण देय राशि से:—	गैर—पुरस्कृत अंशदाताओं (लाभाशं सहित) द्वारा भुगतान की गई राशि
	(क) पुरस्कृत अंशदाताओं (ख) गैर—पुरस्कृत अंशदाताओं	

2.	फोरमैन की ओर आगामी अंशदानों सहित अंशदाताओं से देय राशि	गैर—पुरस्कृत व्यक्तिक्रमी अंशदाताओं को देय राशि
3.	व्यक्तिक्रमी अंशदाताओं से देय ब्याज	पुरस्कृत अंशदाताओं को देय पुरस्कार राशि का बकाया
4.	बैंक में निवेश (उस पर ब्याज सहित)	पुरस्कार राशि हेतु फोरमैन द्वारा किए ए अंशदानों ग के सम्बन्ध में देय राशि
		निवेश के लिए फोरमैन द्वारा किए अंशदानों के सम्बन्ध में उसको देय राशि
		भावर अंशदानों के सम्बन्ध में गैर—पुरस्कृत अंशदाताओं द्वारा भुगतानयोग्य राशि
		<ul> <li>तिम्नलिखित पर अवितिरित लाभांश :-         <ul> <li>(क) नीलामी संख्या( सभी अंशदाताओं में वितिरित की जाने वाली)</li> <li>(ख) पुरस्कृत तथा गैर-पुरस्कृत अंशदाताओं से देय अंशदानों का बकाया</li> </ul> </li> </ul>
5	अन्य मदें (विस्तृत ब्यौरा संलग्न किया जाए)	<ol> <li>अन्य मदें (विस्तृत ब्यौरा संलग्न किया जाए)</li> </ol>
6	ऋण शोधन निधि	9. ऋण शोधन निधि
	कुल योग	
		कुल
III–	निवेश प्राप्तियों का विवरण	4.5
1.	पुरस्कृत अंशदाताओं द्वारा उन्हें पुरस्कार राशि	रुपए—पैसें
	प्राप्त करने में उनकी और से असफल होने	
_	के कारण किए गए निवेश	
2.	व्यतिक्रमी पुरस्कृत अंशदाताओं से किए गए	
2	एकमुश्त संग्रहण के कारण किए गए निवेश गैर–पुरस्कृत व्यतिक्रमी अंशदाताओं को भुगतान	
3.	गर-पुरस्कृत प्यातक्रमा अशदाताओं का मुगतान करने के लिए जमा राशि	
4.	करन के लिए जैना सारा चिट की प्राप्तियों की अन्य मदों के कारण	
r.	निवेश (विस्तृत ब्यौरा संलग्न किया जाए )	
	कुल	
	ुः IV निवेश के मूर	न्य का मृल्यांकन
1.	पास बुक खाता संख्या में निवेश	<b>~</b>
2.	* व्यतिक्रमियों से व्यतिक्रम किस्तों के कारण देय _	्रुपए के बकाया
	सहित चिट की	किस्तों के लिए प्राप्त किए गए बन्ध-पत्रों इत्यादि के
0	अनुसार चिट की भावी किस्तों से देय राशि	the simulation of the second
3.	फोरमैन द्वारा प्राप्त की गई पुरस्कार राशि के कारण उस	
ાટપ્પર્ण.	— तुलन—पत्रा के लेखा—परक्षिण की सुकर बनान हेतु, प विवरणियाँ संलग्न की जानी चाहिएं ।	कोरमैन द्वारा तुलन–पत्र के साथ निम्नलिखित विस्तृत ब्यौरों की

- यहाँ प्रविष्ट किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण ।
  - (i) प्रत्येक किस्त हेतु प्राप्तियों तथा खर्चे के विस्तृत विवरण की विवरणी ।
  - (ii) सिवतरण का ब्यौरा

130 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), FEB. 1,	2018 (MAGH. 12, 1939 SAKA)					
(iii) प्रत्येक किस्त के सम्बन्ध में पुरस्कार राशि का ब्यौरा; तथ	प्रा					
(iv) पुरस्कृत तथा गैर—पुरस्कृत अंशदाताओं से तुलन—पत्र तै की विवरणी ।	नेयार करने की तिथि को देय बकाया के विस्तृत ब्यौरे					
फोरमैन द्वारा प्रस्तुत की गई प्रतिभूति, धारा 20 के अधीन निष्पादित किए गए आडमान बन्ध—पत्र इत्यादि तथा अधिनियम की धारा 31 के अधीन पुरस्कृत अंशदाताओं से प्राप्त किए गए आडमान बन्ध—पत्र इत्यादि ।						
V. फोरमैन द्वारा प्रमाण–पत्र						
मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त लेखे सही ढंग से तैयार किए गए हैं तथा उनमें चिट के मामलों की सत्य तथा पूर्ण विवरणी है ।						
दिनांक :	फोरमैन का नाम तथा हस्ताक्षर					
VI. लेखा—परीक्षक द्वारा प्रमाण—पत्र						
प्रमाणित किया जाता है कि मैंने चिट करार, जो संचालित संख्या 20 के रूप में सम्बन्ध में अनुरक्षित चिट पुस्तक तथा रिकार्ड का परीक्षण किया है तथा है । लेखे चिट फण्ड अधिनियम, 1982 तथा उसके अधीन बनाए गए नि						
	लेखा—परीक्षक का नाम तथा हस्ताक्षर कार्यालय मोहर तथा सदस्यता संख्या					

#### प्ररूप XVI

(देखिए नियम ४५, ४६ तथा ५३)

माध	ध्यस्थम् हतु ।ववाद	क सन्दम हतु आव	वदन :		
	समक्षः				
रजिस्ट्रार	/अपर/संयुक्त/र	उप / सहायक रजि	स्ट्रार		
1.	नाम :	आयु :			
	व्यवसाय :	पताः			
2.	नाम :	आयु :		विवादी	
	व्यवसाय :	पताः	1		

3. नाम : आयु : । व्यवसाय : पता : ।

**बनाम** 1. नाम : आय : । व्यवसाय : पता : ।

2. नाम: आय: । प्रतिवादी

व्यवसाय : पता : । । 3. नाम : आयु : ।

नाम : आयु :
 व्यवसाय : पता :

(यहाँ कार्रवाई के कारण गठित करने वाले मामले, के दावे तथा तथ्यों इत्यादि का पूर्ण ब्यौरा देंवे, जब यह उत्पन्न हुआ)

विवादी / विवादियों की प्रार्थना / प्रार्थनाएं निम्नानुसार है / हैं

उपरोक्त दावे या मांगी गई राहत के समर्थन में, मैंने/हमने इससे संलग्न सूची के अनुसार दस्तावेज तथा पेपर संलग्न कर दिए हैं :-

तिथि : (हस्ताक्षरित) विवादी

मैं / हम \_\_\_\_\_\_, विवादी घोषणा करता हूँ / करते हैं कि उपरोक्त कथित तथ्य मेरे / हमारे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सत्य है ।

तिथि : हस्ताक्षरित (1) । (2) । विवादी

(3) । दिनांक \_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ को कार्यालय में दायर किया गया ।

टिप्पण:-

- (1) यदि एक से अधिक विवादी या प्रतिवादी हैं, तो उनके नाम, पते, आयु तथा व्यवसाय भी वर्णित किए जाने चाहिएं ।
- (2) वित्तीय दावों से सम्बन्धित विवाद में, विवादियों को दावा की गई राशि का सुस्पष्ट उल्लेख करना चाहिए किन्तु जहाँ यह पूरी तरह से अभिनिश्चित नहीं की जा सकती, तो विवादी दावा की गई लगभग राशि का उल्लेख करेंगे।
- (3) जब विवादी / फोरमैन कोई कम्पनी / सहकारी सोसाइटी या भागीदार फर्म है, तो इसके निदेशक मंडल, या प्रबन्धन समिति, जैसी भी स्थिति हो, के संकल्प की प्रति आवेदन के साथ लगाई जाएगी ।

# प्ररूप XVII

(देखिए नियम 2 (ग) तथा नियम 53(1)

# (प्राधिकार-पत्र का प्ररूप)

(श्रावकार—पत्र का अरुप)							
में,	(नाम)	(पदनाम) _	पंजीकरण				
संख्याके अधीन	पंजीकृत चिट क्रमांक		_का फोरमैन होते हुए				
इसके द्वारा, उपरोक्त चिट से सम	बद्ध मामले में मेरे / हमारे निमित्त लेर	खे तथा दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु	तथा मेरे / हमारे निमित्त				
जारी किए गए किसी नोटिस या	दस्तावेजों को प्राप्त करने हेतु तथा	मामले में सभी आवश्यक कदम उ	उटाने हेतु उपस्थित होने				
के लिए अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि	के रूप में श्री	को नियु	क्त करता हूँ ।				
तिथि :		=T=10TT ·					
।ताथ -		हस्ताक्षर :					
		पदनाम :					

## परिशिष्ट I

{(देखिए नियम 42,30,49 (ख) तथा 54(2)}

चिट फण्ड अधिनियम, 1982 (1982 का का केन्द्रीय अधिनियम 40) की धारा 62 तथा 63 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन फीसों का उद्ग्रहण :—

#### फीस तालिका

क्रम संख्या	विवरण	नगदी रहित ढंग से जमा की जाने वाली राशि (रुपए में)	न्यायालय फीस/ न्यायिकेतर स्टाम्प पेपर (रुपए में)
1.	धारा 4 की उप–धारा (2) के अधीन चिट के प्रारम्भ या संचालन के लिए पूर्व स्वीकृति के आवेदन हेतु ।	दस हजार रुपए	
2.	धारा 7 की उप–धारा (1) के अधीन चिट करार को दायर करने हेतु प्रत्येक करार के लिए दोनों प्रतियों पर सम्यक् रूप से 5 रुपए की टिकट लगाई जाएगी ।		नॉन न्यायिकेतर स्टाम्प पेपर के रूप में चिट राशि का एक प्रतिशत
3.	धारा ८ की उप—धारा (४) के अधीन आरक्षित निधियों से समुचित धनराशि के अनुमोदन के लिए आवेदन हेतु ।		पांच रुपए (न्यायालय फीस स्टाम्प)
4.	रजिस्ट्रार के पास घोषणा दायर करने हेतु तथा धारा 9 की उप—धारा (1) के अधीन प्रारम्भ करने का प्रमाण—पत्र प्रदान करने हेतु ।		पांच रुपए (न्यायालय फीस )
5.	धारा 10 की उप—धारा (2) के अधीन प्रमाण—पत्र दायर करने हेतु ।		पांच रुपए (न्यायालय फीस स्टाम्प)
6.	धारा 18 के अधीन प्रति नीलामी बैठकों के प्रत्येक ड्रा की कार्यवाहियों की बैठक की प्रति दायर करने हेतु ।		पांच रुपए (न्यायालय फीस)
7.	नियम 15 के अधीन किसी चिट करार के किसी उपबन्ध में परिवर्तन, परिवर्धन या रद्दकरण के पंजीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन हेतु ।		पांच रुपए (न्यायालय फीस)
8.	रजिस्ट्रार के पास दायर करने के लिए प्रत्येक मामले में फीस वसूल की जाएगी— (क) धारा 28 की उप—धारा (3) के अधीन व्यतिक्रमी अंशदाता को हटाने से सम्बन्धित प्रत्येक प्रविष्टि की प्रति।		(क) से (च) हेतु पांच रुपए (न्यायालय फीस)
	(ख) धारा 29 की उप—धारा (2) के अधीन अंशदाता के प्रतिस्थापन से सम्बन्धित प्रत्येक प्रविष्टि की असल प्रति।		
	<ul><li>(ग) धारा 37 के अधीन फोरमैन के अधिकारों के अन्तरण से सम्बन्धित प्रविष्टि की असल प्रति ।</li></ul>		
	(घ) धारा 37 के अधीन गैर—पुरस्कृत अंशदाता के अधिकार के अन्तरण से सम्बन्धित प्रविष्टि की प्रति ।		
	(ड.) धारा 41 के अधीन फोरमैन के प्रत्याहरण हेतु गैर—पुरस्कृत अंशदाताओं तथा असंदत्त पुरस्कृत अंशदाताओं की सहमति की असल प्रति		
	(च) धारा 41 के अधीन चिट की समाप्ति के लिए सभी गैर—पुरस्कृत / अंसदत्त पुरस्कृत अंशदाताओं की सहमति की असल प्रति ।		

		1
	(छ) रजिस्ट्रार द्वारा पारित या पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध या आक्षेप का प्रतिवाद करने वाली प्रत्येक याचिका	पचास रुपए
9.	चिट लेखा–परीक्षक द्वारा धारा 61 की उप–धारा (4) के अधीन लेखों के लेखा–परीक्षण हेतु :	
	(क) जब चिट राशि रुपए 30,000 / — से अधिक न हो	एक सौ रुपए
	(ख) जब चिट राशि रुपए 30,000 / — से अधिक हो किन्तु एक लाख रुपए से अधिक न हो।	दो सौ रुपए
	(ग) जब चिट राशि एक लाख रुपए से अधिक हो किन्तु पाँच लाख रुपए से अधिक न हो ।	पाँच सौ रुपए
	(घ) धारा जब चिट राशि पाँच लाख रुपए से अधिक हो ।	एक हजार रुपए
10.	धारा 62 के अधीन प्रत्येक चिट समूह के लिए किसी चिट से सम्बन्धित एक या अधिक रिकार्ड के निरीक्षण हेतु	एक घण्टे के लिए दस रुपए तथा पश्चातवर्ती प्रत्येक घण्टे हेतु पाँच रुपए
11.	किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु ।	प्रत्येक पृष्ठ हेतु दो रुपए (ए–4 या ए–3 आकार के पेपर में) तथा बड़े आकार के पेपर में प्रति का वास्तविक प्रभार या लागत मूल्य
12.	धारा 74 के अधीन राज्य सरकार को प्रत्येक अपील हेतु	पाँच सौ रुपए

पी० राघवेन्द्रा राव, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग।

#### HARYANA GOVERNMENT

#### FINANCE DEPARTMENT

#### **Notification**

The 1st February, 2018

**No. S.O. 5/C.A. 40/1982/S. 89/2018.**— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with Sub-section (2) of Section 89 of the Chit Funds Act, 1982 (Central Act, 40 of 1982), the Governor of Haryana, in consultation with the Reserve Bank of India, hereby makes the following rules, namely:-

#### Chapter 1 PRELIMINARY

1. These rules may be called the Haryana Chit Funds Rules, 2018.

Short title.

**2.** (1) In these rules, unless the context otherwise requires.—

- Definitions.
- (a) "Act" means the Chit Funds Act, 1982(Central Act 40 of 1982);
- (b) "Appendix" means Appendix as appended to these rules;
- (c) "authorised agent" means a person duly authorised by a power of attorney executed and authenticated in the manner specified in section 33 of the Registration Act, 1908 (Central Act, XVI of 1908) or a person authorised by a duly stamped power of attorney or a letter of authorisation specified in Form XVII by the person concerned;
- (d) "chit auditor" means a Chit auditor appointed under sub-section (2) of section 61 of the Act;
- (e) "Form" means a form appended to these rules;
- (f) "month" means a calendar month;
- (g) "section" means a section of the Act.
- (h) **"cashless mode"** means transactions carried out using cheque, demand draft or through electronic fund transfer as defined in clause (c) of sub section (1) of section 2 of payment and settlement systems Act, 2007 (51 of 2007), or by using internet, phone or card payment.
- (i) "security" means a security to be given by foreman in term of section 20 of the Act.
- (2) Words and expressions used in these rules but not defined herein shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.

#### Chapter II

#### REGISTRATION

Application for obtaining previous sanction for commencement or conduct of chit. Section 4

Communication of the previous sanction for the commencement or conduct of a chit.

Refusal to previous sanction for the commencement or conduct of chit. Section 4

Section 4

- 3. Every application for obtaining previous sanction of the State Government or the officer empowered by it in this behalf, for commencement or conduct of a chit shall be made online in **Form I** to the Registrar to be appointed by the Government giving details of the Bank account, which must be KYC compliant seeded with Aadhaar number.
- **4.** The previous sanction for the commencement or conduct of a chit shall be communicated in **Form II.**
- **5.** (1) Where previous sanction for the commencement or conduct of a chit is refused, the reasons for such refusal shall be recorded in writing and a copy thereof shall be communicated to the foreman.
- (2) Before refusing such sanction, the State Government or the officer empowered in this behalf, shall issue a notice, by registered post, to the foreman, calling upon him to show cause within a period of fourteen days of issue of such notice, as to why previous sanction be not refused.
- (3) Where, the ground for the proposed refusal of such previous sanction is default in the payment of fee or in the filing of any statement or record required to be paid or filed under the Act, or these rules, the State Government or the officer empowered in this behalf, may, after hearing the foreman and being satisfied that the default has occurred due to reasons beyond the control of the foreman or due to other bona-fide reasons, condone the said default provided that the foreman has paid the fee or filed the necessary documents on or before the date of such hearing.

Application for registration of chit agreement.
Section 4

Chit agreement. Section 6

- **6.** Every application for the registration of a chit agreement shall be in **Form III.**
- 7. (i) The chit agreement of every chit commenced under the Act shall be in duplicate and shall be signed by each of the subscribers or by any person authorised by him in writing and the foreman and attested by, at least, two witnesses and it shall contain the particulars as prescribed under section 6 of the Act.
  - (ii) Transaction/ payment/receipt through cashless mode is mandatory under the rules.

Endorsement of registration of a chit agreement.
Section 7

Registration number of chit agreement.

Refusal to register a chit agreement. Section 4

- **8.** The endorsement of registration of a chit agreement by the Registrar shall be in **Form IV.**
- **9.** Every chit agreement registered under the Act shall be numbered serially by the Registrar in separate series for each calendar year.
- **10.** (1) If the Registrar refuses to register a chit agreement, he shall record the reasons for such refusal in writing and communicate a copy of the order to the foreman.
- (2) Before refusing such registration, the Registrar shall issue a notice, by registered post, to the foreman calling upon him to show cause within a period of fourteen days of issue of such notice as to why the registration be not refused.
- (3) Where it is proposed to refuse registration of a chit agreement for default in the payment of fee or in the filing of any statement or record, required to be paid or filed under the Act or these rules, the Registrar shall condone the said default, if he is satisfied on hearing the foreman that the default has occurred due to reasons beyond the control of the foreman or due to other bona-fide reasons, provided that the foreman has paid the fee or filed the necessary documents on or before the date of such hearing.
- 11. Every application for obtaining the prior approval of the Registrar for appropriation by a company of any sum from the reserve fund shall be in **Form V**, which should not be less than 10% of profits.

Application for appropriation of any sum from reserve fund. Section 8

- 12. Every declaration under sub-section (1) of section 9 of the Act, filed by a foreman after all tickets in a chit specified in the chit agreement have been fully subscribed shall be in **Form VI**.
- 13. The certificate of commencement of a chit granted to the foreman shall be in Form VII.

14. The certificate by the foreman about having furnished a copy of the chit agreement to every subscriber of a chit, under section 10 of the Act, filed with the Registrar, shall be in Form VIII.

- 15. (1) (i) No alteration or addition in, or cancellation of, any chit agreement shall have effect unless such alteration or addition or cancellation, as the case may be, has the consent in writing of the foreman and all the subscribers to the chit and is also registered with the Registrar.
  - (ii) The foreman shall submit any alteration or addition in or cancellation of, any chit agreement, in duplicate to the Registrar, duly signed and attested by, at least, two witnesses, along with the true copy of the written consent for carrying out the addition, alteration or cancellation for registration.
- (2) An application to file an alteration or addition in or cancellation of, any chit agreement shall be dealt with in the same manner as an application for filing of the chit agreement.
- (3) An alteration or addition in, or cancellation of, any chit agreement shall not take effect from a date earlier than the date of such registration of the alteration or addition or cancellation, as the case may be unless otherwise ordered by the Registrar:

Provided that the Registrar shall not give effect to such alteration or addition or cancellation from a date earlier than the date of application for registration of the alteration or addition in, or cancellation of, any chit agreement, as the case may be.

- (4) An alteration or addition in or cancellation of any chit agreement shall take effect from the date of filing of the agreement unless the Registrar raises objection on the same within fifteen working days of filing the objection.
- **16.** Every notice to be given by a foreman to the subscribers in a chit under section 16 shall be in **Form IX**. It shall be sent to each subscriber under certificate of posting, or by hand delivery, or in such manner as specified in the chit agreement, and shall also be exhibited on the notice board of the office of the foreman.
- 17. The minutes of proceedings of every draw shall, in addition to the particulars specified in sub-section (2) of section 17, contain full particulars of the following points, namely.-
  - (a) particulars of deposit, if any, of the prize amount under sub-section(2) of section 22, since the date of the previous draw;
  - (b) particulars of deposit, if any, of money, under sub-section (1) of section 22, sub-section (1) of section 30 and sub-section (4) of section 33, since the date of the previous draw;
  - (c) particularly, if any, of amount withdrawn from the approved bank (the name of the bank to be specified) and the purpose for which the amount was withdrawn since the date of the previous draw;
  - (b) how the prized subscriber was ascertained according to the terms of the chit agreement and particulars of tickets and prize amount. If the ascertainment of the prized subscriber related to a fraction of a ticket, particulars in respect of each such fraction shall be entered:
  - (c) full particulars of the commission, remuneration or for meeting the expenses of the chit, paid to the Foreman and the amount of dividend assigned to each subscriber;
  - (d) names of subscribers or their authorised agents, who bid at the draw, their ticket numbers and signatures.

Declaration to be filed after all tickets of the chit has been subscribed.
Section 9

Certificate of commencement of chit.
Section 9

Certificate about furnishing a copy of chit agreement to the subscribers of a chit. Section 10

Alteration or addition in, or cancellation of, a chit agreement. Section 15

Notice of conduct of chit to chit subscribers. Section 16

Minutes of proceedings. Section 17

## Chapter III FOREMAN

Procedure in case of security given by foreman. Section 20

- 18. (1) (a) Security deposited in cashless mode in an approved bank shall be in the name of Registrar under sub clause (i) of clause (a) of sub-section (1) of section 20, the receipt issued by the approved bank mentioned in the chit agreement shall be delivered to the Registrar.
  - (b) In case of bank guarantee from an approved bank under sub-clause (ii) of clause (a) of sub-section (1) of section 20, the said bank guarantee shall be delivered to the Registrar.
- (2) In case the foreman of a chit proposes to give movable property as security for the proper conduct of a chit, it shall only be Government Securities or Government Promissory Notes, National Saving Certificate or other similar bonds issued by the Central Government from time to time without any lock-in period. It shall be duly endorsed in favour of the Registrar.
- (3) In case the foreman of a chit proposes to give immovable property as security for the conduct of a chit, he shall clearly state the correct and complete particulars regarding the property offered as security. Every such application shall be accompanied by
  - (a) an affidavit to the effect that-
    - (i) the property is free from encumbrance, freehold and is in the name of the company; and
    - (ii) the property is situated in the territory of Haryana.
  - (b) documents of title to the property;
  - (c) copy of mutation made by revenue authorities;
  - (d) copy of property tax receipt or water bill or electricity bill issued by the concerned department;
  - (e) valuation report from the registered valuer appointed by the competent authority; and
  - (f) encumbrance certificate for the last ten years.
- (4) The Registrar or any officer empowered by him in this behalf shall, by inspection and examination of records produced or inquiries made, satisfy himself to the sufficiency of the security for the realisation of at least two times of the chit amount.
- (5) If the security offered is accepted as sufficient by the Registrar, he shall make a note of it on the application for furnishing security. If the security offered is not accepted by the Registrar, he shall give the applicant an endorsement to that effect.

Valuation of property. Section 20

- 19. (1) Where any property which, in the opinion of the Registrar, requires a valuation by a competent agency, the bank or any other authority appointed in this behalf by the Registrar, shall estimate the value of such property and such valuation shall be final.
- (2) Any fee or charge demanded for such valuation by such bank or authority shall be borne by the foreman.

Substitution of security. Section 20

- **20.** (1) During the currency of chit, the foreman may apply to the Registrar in **Form X** for permission to substitute the security given by him for the proper conduct of the chit by fresh security.
- (2) The Registrar may grant permission as applied for in sub-rule (1) after satisfying himself–(i) that the reasons for substitution of the security, given by the foreman in the applications, are justifiable; and (ii) that the fresh security offered is adequate.
- (3) The procedure prescribed in rule 19 shall apply mutatis mutandi to the substituted security given by the foreman under this rule.

Release of original security in case of substitutions. Section 20

21. The Registrar shall, if so required by the foreman, execute and register a deed of release in respect of the original security at the cost of the foreman.

22. On termination of the chit, the foreman shall make an application to the Registrar for the release of the security given by him.

Application for release of security. Section 20

**23.** The application for release of security shall contain a declaration in the form of an affidavit, duly signed by the foreman and attested by a Notary Public, stating -

Declaration of Foreman. Section 20

- (i) that the claims of all the subscribers have been fully satisfied and nothing is due to them from the company;
- (ii) the company shall be held responsible for any complaint or claim put forth by any subscriber of the chit group in future; and
- (iii) that all dues payable by the foreman under the Act and these rules, to the Registrar or any other officer have been fully paid.
- 24. (1) (a) The Registrar may for the purpose of releasing the security under sub-section (5) of section 20 call upon the foreman to produce a copy duly certified to be a true copy of any register and books of accounts maintained by the foreman, a bank certificate regarding clearance of payments made to the subscribers (excluding the foreman) in respect of last five auctions, detailed list of payments made to all the subscribers and last balance sheet of the chit group. The Registrar shall exhibit a notice on his office notice board/website of the Department stating that the security is proposed to be released and that any person objecting to such release may file with the Registrar his statement of objections, if any, within fifteen days from the date of exhibition of such notice.

release of security. Section 20

Procedure for

- (b) If no objections are received within the period specified in the notice, the Registrar shall release the security.
- (2) If any objections are received, the Registrar shall enquire into the objections summarily within one month after the date of expiry of the period specified in the notice referred to in sub-rule(1) (a) and record his decision in writing and send a copy thereof to the foreman and to the objector.
- **25.** In addition to the book of minutes of draws mentioned in section 17, the foreman shall keep the following registers and books of accounts in the Forms mentioned against each or in the Forms as near thereto as possible:-

Books of account to be maintained by foreman. Section 23

- (a) a register of subscribers in **Form XI**;
- (b) a ledger in Form XII;
- (c) a day book in Form XIII;
- (d) a proper receipt book, duly certified by the foreman as to the number of pages in duplicate;
- (e) a book containing copies of all notices issued by the foreman to the subscribers;
- (f) a file containing the letter of authorization of every subscriber for subscribing his name in the chit agreement and for participating in the auction of the chit;
- (g) a file containing the vouchers for payment made by the foreman;
- (h) a file containing documents relating to securities offered by the prized subscribers; and
- (i) a register in **Form XIV** showing the amounts deposited in approved bank in respect of all chits conducted by the foreman.
- **26.** (1) Every entry in the register of subscribers, the ledger or the day book mentioned in rule 25, shall be made as and when the particular event occurs.

Accounts to be maintained. Section 23

- (2) On receipt of any money, a proper receipt shall immediately be prepared or cause to be prepared by the foreman and delivered to the payer.
- (3) The foreman, shall, at the time of issuing every notice, prepare a copy thereof in the book mentioned under clause (e) of rule 25, certifying it to be a true copy and enter therein under his signature, the date of dispatch of the notice.

- (4) A voucher duly signed by the recipient shall be obtained by the foreman at the time any payment is made to him and such voucher shall be immediately filed in the file specified in clause (g) of rule 25 after due verification of all the particulars entered therein.
- (5) Every document relating to the security given by the prized subscriber shall, as soon as it is received, be filed in the file mentioned in clause (h) of rule 25. The file shall contain an index for facilitating the scrutiny of the documents.
- 27. As soon as each payment is made, the foreman shall obtain a voucher from the payee. He shall verify whether the voucher specifies the purposes for which the payment was received and whether it is properly signed by the recipient and preserve it in the file mentioned in clause (g) of rule 25 after assigning a serial number thereto for each calendar month.
- 28. (1) In addition to the balance sheet referred to in section 24, every foreman shall also prepare and file with the Registrar a receipt and payment account and a statement showing the assets and liabilities of the individual chit group as on the last date of each calendar or financial year, as the case may be, in **Form XV**, duly audited either by auditors qualified to act as auditors under the Companies Act, 2013 (Central Act 18 of 2013) or by a chit auditor appointed under section 61.
- (2) The balance sheet referred to in section 24 shall be filed with the Registrar within a period of three months from the expiry of the period with reference to which it is prepared.
- (3) Receipts and payments account and statement showing the assets and liabilities of the individual chit group, referred to in sub-rule (1) above, shall be filed with the Registrar within a period of two months from the expiry of the period with reference to which it is prepared and also on the termination of the chit.
- **29.** Subject to the provisions contained in section 26, any change in the ownership or name of a foreman shall be notified to the Registrar within fourteen days of such change.
- **30.** (1) If a foreman desires to have the balance sheet and profit and loss account audited by a Chit Auditor appointed under sub-section (2) of section 61, the foreman shall immediately after the preparation of the balance sheet make an application for such audit to the Registrar within whose jurisdiction the chit is conducted, specifying whether the audit shall be at the premises of the foreman or not. The application shall be accompanied by the amount of fee specified in Appendix I.
- (2) The Assistant Registrar shall forward the application to the Chit Auditor of the District who shall audit the balance sheet and profit and loss account as expeditiously as possible. On receipt of the application, the Auditor shall call up on the foreman to produce the chit records on such date, time and place as he may fix and the foreman shall produce all registers, books of accounts and other records relating to the chit accordingly and furnish such information and give such facilities as may be necessary or required for the proper audit of the balance sheet and profit and loss account and receipt and expenditure account of individual chit at the time and place fixed by the chit auditor.
- (3) Notice of not less than seven days shall be given to the foreman as to the date of audit in the premises of the foreman or for the production of registers, books of accounts and other records relating to the chit business, as the case may be.
- 31. The Chit Auditor shall prepare his report and audit certificate in quadruplicate and shall send one copy to the foreman, the second copy to the Assistant Registrar, the third copy to the Inspector of Chits and keep the remaining copy in his own file.
- **32**. (1) Where the audit is done by the Chit Auditor, the foreman shall file with the Assistant Registrar a copy of the balance sheet and profit and loss account together with the audit certificate and the auditor's report within one month from the date of the receipt of the audit certificate and audit report from the Chit Auditor or within three months from the last day of the period covered by the balance sheet, whichever is earlier.
- (2) In the case of Audit by an Auditor qualified to act as auditor of companies under the Companies Act, 2013 (Central Act, 18 of 2013), the foreman shall file with the Assistant Registrar the documents referred to in sub-rule (1) within three months from the expiry of the period with reference to which the balance sheet is prepared under section 24 and in the case of individual chit as referred to in sub-rule (2) of rule 30 within a period of two months.

Filing of vouchers. Section 23

Date for submission of balance sheet. Section 24

Change in ownership and name of a foreman. Section 26 Audit by Chit Auditor Section 24

Audit Certificate and report of Chit Auditor to be in quadruplicate. Section 24 Time for filing balance sheet audited by a Chit Auditor or other Auditors. Section 24

#### Chapter IV WINDING UP OF CHITS

- 33. A petition for winding up of a chit shall contain the following particulars, namely:-
  - (a) Full name, description, occupation and address of the petitioner;
  - (b) Address of advocate, if any, for the service of all notices, processes, etc;
  - (c) Address of the foreman;
  - (d) Particulars of the chit-
    - (i) number and date of registration of the chit agreement;
    - (ii) office where the chit agreement was registered;
    - (iii) the chit amount;
    - (iv) the total number of tickets;
    - (v) the number of subscriptions and the number of tickets subscribed by each subscriber in the following format:-

Name Ticket No.	No. of installments paid to the foreman	Amount of subscription paid to the foreman	Whether prized/unpaid prized/non- prized subscriber and amount due from the foreman
-----------------	---	---	--

- (vi) the number of non-prized subscribers on the date of the petition; and
- (vii) the number of unpaid prized subscribers, if any.
- (e) Facts on which the petitioner relies in support of the petition;
- (f) Particulars relating to the award and execution of other process which has been returned unsatisfied in whole or in part, if the ground of the petition is that execution of other process issued on an award or order of the Registrar in favor of any subscriber in respect of the amounts due to him from the foreman was returned unsatisfied in whole or in part;
- (g) Full details to show that the condition prescribed in clause (a) of the proviso to section 49 is satisfied if the winding up of the chit is applied for under cause (d) or (i) of section 48;
- **Explanation.** For the purpose of this clause, such petition is presented by those non-prized subscribers and those unpaid prized subscribers whose subscriptions to the chit amount in the aggregate is, at least, twenty five percent of the amount contributed by all the non-prized subscribers and unpaid prized subscribers. Full details in support of the same is to be given separately.
  - (h) Whether the previous sanction of the State Government has been obtained, if clause (b) of the proviso to section 49 applies. (A copy of the relevant order of the State Government shall be attached).
- **34.** (1) The Registrar or any other person appointed by him under section 54 (hereinafter referred to as "the receiver"), shall prepare a statement (hereinafter referred to as the "provisional statement") showing-
  - (a) the names of subscribers and other persons from whom moneys are due to the chit;
  - (b) the names of the subscribers and other persons to whom moneys are due from the chit;
  - (c) proposals as to how the chit assets are to be collected and applied in the discharge of its liabilities; and
  - (d) the amount proposed to be paid to each of the persons specified in clause (b).

Form of petition for winding up of a chit.
Section 49

Procedure for collection and distribution of chit assets. Section 54

- (2) The notice of the preparation of the provisional statement accompanied by a copy thereof shall be served on the petitioner, the subscribers and other persons mentioned by the receiver in such manner as the Registrar may direct. If the number of persons on whom such notice is to be served is large, the Registrar or the receiver, as the case may be, shall serve the notice on the petitioner and also get such notice published in one or more local daily newspapers. The notice shall specify the date on which objections to the provisional statement will be heard and shall call upon any persons having such objections,-
  - (i) to submit his statement of objections and the grounds therefore, supported by an affidavit before the date appointed by the Registrar or the receiver; and
  - (ii) to appear in person or through an advocate on the date of hearing with all the evidence in support of his objections.

Set off to be allowed. Section 52

**35.** When money is due from the foreman to a subscriber and also from the subscriber to the foreman, the subscriber shall be allowed the benefit of a set off.

Hearing of objections to provisional statement. Section 54

**36.** On the date fixed for the hearing of the objections under sub rule (2) of rule 34, the Registrar or the receiver, shall hear objections, if any, and revise, alter or modify the provisional statement, if necessary, and prepare a final statement.

Collection and distribution of chit assets.
Section 54

**37.** The Registrar or the receiver, as the case may be, shall take steps for the collection of chit assets and pass orders for distribution of available chit assets to the non-prized and unpaid prized subscribers.

Provision for expenses of winding up. Section 53

**38.** The Registrar or the receiver, before passing orders for the distribution of chit assets, shall specify the estimated amount of the cost of winding up including remuneration for the receiver and such other items of expenditure as are incidental to the winding up and such estimated amount shall first be provided for, and deducted from the value of the chit assets and the balance amount shall be proposed for distribution in accordance with the final statement prepared under rule 36.

Filing of final accounts by receiver. Section 54

- **39**. (1) The receiver shall file his account with the Registrar before the preparation of final statement and shall also deposit the balance of money, if any in his hands, all books of accounts and all other records relating to the chit, which has been wound up.
- (2) The receiver may thereafter apply to the Registrar for a certificate of discharge from the duties as receiver and for vacating the recognizance bonds entered into by him and the sureties, if any. On receipt of such application, the Registrar may pass orders of such discharge and vacating of the bonds and for the disposal of the final balance of the chit assets, if any.

Final order of winding up by the Registrar. Section 56

- **40**. (1) After the affairs of a chit have been completely wound up, the Registrar shall make an order recording the fact of such winding up.
  - (2) A copy of such order shall be exhibited on the notice board of the Registrar.

Meetings. Section 48

41. When the number of subscribers is large and the Registrar, whether on application of the receiver or not, at any stage considers that a meeting of all such parties is necessary in order to ascertain their views in any matter, the Registrar may pass an order for holding such a meeting. The Registrar may direct the manner in which and the time and place at which the meeting shall be held and the receiver shall convene and hold the meeting accordingly.

#### Chapter V FEES

**42.** The fees payable to the Registrar for matters specified in section 62 and section 63 shall be as set out in **Appendix I** and shall be paid through cashless mode.

Table of Fees. Section 63

43. The Registrar shall grant receipts for all fees received by him through cashless modes.

Receipts for fees. Section 63

**44.** The Registrar may refund any fee paid to him through cashless mode in excess of the amount prescribed or any fee that is unearned.

Refund of fees. Section 63

**Explanation.**— The expression "fee that is unearned" in this rule means fees paid in connection with the registration of the chit agreement, the filing of a document or other service to be performed by the Registrar where such registration or filing is not actually effected or the service is not actually rendered.

#### Chapter VI **DISPUTES AND ARBITRATION**

Reference of dispute. Section 64

A reference of a dispute under section 64 shall be made in writing to the Registrar in Form XVI. Wherever necessary, the Registrar may require the party referring the dispute to him to produce a certified copy of the relevant records on which the dispute is based and such other statement or records as may be required by him, before proceeding with the consideration of such reference.

Registrar's satisfaction regarding existence of a dispute. Section 64

Where any reference of a dispute is made to the Registrar or any matter is brought to his notice, the Registrar shall, on the basis of the reference (if any) made to him in Form XVI and the relevant records and statements submitted to him, record his decision together with the reasons therefore, whether he is or is not satisfied about the existence of a dispute within the meaning of section 64. Such recording of decision shall be sufficient proof of the Registrar's satisfaction, whether the matter is, or, is not a dispute, as the case may be.

Disposal of a dispute or reference to a nominee. Section 66

- Where the Registrar is satisfied that there is a dispute, the Registrar may decide the dispute himself or refer it for disposal to his nominee.
- Neither the Registrar nor his nominee shall take up for consideration any dispute, unless the parties concerned comply with the conditions of affixing the court fees stamps specified in rule 53 for determining the dispute.

Qualifications for appointment as Registrar's nominees. Section 67

The Registrar may appoint any serving or retired officer of Government of Haryana not below the rank of Group 'A' to act as his nominee.

Procedure for hearing and decision of disputes. Section 67

- The Registrar or his nominee shall record the evidence of the parties to the 49. dispute and the witnesses who attend. Upon the evidence so recorded and upon consideration of any documentary evidence produced by the parties, a decision shall be given by him in writing. Such decision shall be pronounced in the open court, either at once or as soon as may be practicable on some future day, of which due notice shall be given to the parties.
- Where neither party appears when the dispute is called out for hearing, the Registrar or his nominee may make an order that it to be dismissed for default.
- Where the opponent appears and the disputant does not appear when the dispute is called out for hearing, the Registrar or his nominee may make an order that the dispute be dismissed, unless the opponent admits the claim or a part thereof, in which case the Registrar or his nominee, as the case may be, may make an order against the opponent upon such admission, and where, part only of the claim is admitted, may dismiss the dispute in so far as it relates to the remainder.
- **(4)** Whether the disputant appears and the opponent does not appear when the dispute is called out for hearing, then, if the Registrar or his nominee is satisfied from the record and proceedings that the summons was duly served, the Registrar or his nominee may proceed with the dispute ex parte. Where the summons is served by any official of the Registrar or his nominee, he shall make his report of service on oath.
- The Registrar or his nominee may not ordinarily grant more than two adjournments to each party to the dispute at his request. The Registrar or his nominee may, however, at his discretion grant such further adjournments on payment of such costs to the other side and such fees to the Registrar or his nominee, as the case may be.
- Any party to a dispute may apply for and obtain a certified copy of any order, judgment or award made by the Registrar or his nominee on payment of copying fees at the rate
- prescribed in Appendix I.
- The Registrar or his nominee, as the case may be, may issue summonses or notices, at least, fifteen days before the date fixed for the hearing of the dispute requiring
  - the attendance of the parties to the dispute and of witnesses, if any; and (a)
    - the production of all books and documents relating to the matter in dispute.

Summons, notice and fixing of dates, places, etc. in connection with disputes. Section 67

- (2) Summonses or notices issued by the Registrar or his nominee may be served through a process server or any employee of the Chit Fund Department or by registered post.
- (3) The official serving a summons or notice shall, in all cases in which summons or notice has been served, endorse or annex or cause to be endorsed on or annexed to, the original summons or notice, a return stating the time and the manner in which, the summons or, as the case may be, notice was served, and the name and address of the person (if any), identifying the persons served and witnessing the delivery or tender of the summons or the notice.
- (4) The officer issuing the summons or notice may examine the serving official on oath or cause him to be so examined by the officer through whom it is served and may make such further inquiry in the matter as he thinks fit and shall either declare that the summons or, as the case may be, notice has been duly served or order it to be served in such manner as he thinks fit.
- (5) The mode of serving summonses and notices as laid down in sub rules (1) to (4) shall mutatis mutandis apply to the service of notices issued by the Registrar or the persons authorised by the State Government, when acting under section 46.
- **51**. (1) Where the property to be attached is movable property, other than agricultural produce in the possession of the debtor, the attachment shall be made by actual seizure and the attaching officer shall keep the property in his own custody or in the custody of one of his subordinates, or of a receiver, if one is appointed under sub rule **(2)** and, shall be responsible for the due custody there of:

Procedure for the custody of property attached.
Section 68

Provided that when the property seized is subject to speedy and natural decay, or when the expenses of keeping it in custody are likely to exceed its value, the attaching officer may sell it at once.

- (2) Where it appears to the officer ordering conditional attachment under section 68 to be just and convenient, he may appoint a receiver for the custody of the movable property attached under that section and his duties and liabilities shall be identical with those of a Receiver appointed under Order XL in the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908(Central Act 5 of 1908).
  - (3) (i) Where the property to be attached is immovable, the attachment shall be made by an order prohibiting the debtor from transferring or charging the property in any way, and all persons from taking any benefit from such transfer or charge.
    - (ii) The order shall be proclaimed at some place on, or adjacent to such property by beat of drums or other customary mode, and a copy of the order shall be affixed on a conspicuous part of the property and upon a conspicuous part of the village chaupal and where the property is land paying revenue to the State Government, also in the office of the Deputy Commissioner of the revenue area, the Block Development Officer and the Tehsildar within whose jurisdiction the property is situated.
- **52.** (1) Every order or award passed by the Registrar, or his nominee under section 68 or section 69 shall be forwarded by the Registrar to the foreman or to the party concerned with instructions that the foreman or the party concerned, as the case may be, shall initiate execution proceedings forthwith according to the provisions of section 71.

Procedure for execution of awards. Section 68

- (2) If the amount due under the award is not forthwith recovered, or the order there under is not carried out, it shall be forwarded to the Registrar with an application for execution along with all information required by the Registrar, for the issue of certificate under section 71. The applicant shall state whether he desires to execute the award through a civil court or through the revenue authorities as provided under section 71.
- (3) On receipt of such application for execution, the Registrar shall forward the same to the proper authority for execution along with a certificate issued by him under section 71.
- (4) Every order passed in appeal under section 70 shall also be executed in the manner laid down in sub rules (2) and (3).

Payment of fees for decisions of disputes. Section 69

**53**. (1) The Registrar or his nominee may take a dispute on file only if the application regarding reference for such dispute in Form XVI is affixed with court fees stamps at the following scales, namely:-

		Court fee (Rs.)
(a)	When the amount of the claim in dispute does not exceed one thousand rupees.	Twenty five rupees
(b)	When such amount exceeds one thousand rupees but does not exceed five thousand rupees.	Fifty rupees
(c)	When such amount exceeds five thousand rupees	Seventy five rupees
(d)	Any other dispute	One hundred rupees

(2) No document of any of the kind specified below shall be filed before the Registrar or his nominee, unless it is affixed with the proper court fee stamp at the following rates:-

	Proper Court fee Rs./p
(i) Vakalatnama	Two rupees
(ii) Application for adjournment	Ten rupees
(iii) Application for interim stay or relief	Twenty five rupees

- (3) (a) The Registrar or his nominee deciding any dispute may require the party or parties to the dispute to deposit such sum as may, in his opinion be necessary to meet the expenses, including payment of fees to the Registrar or his nominee.
  - (b) The Registrar or his nominee shall have power to order the fees and expenses of determining the dispute to be paid by the foreman out of his funds or by such party, or parties to the dispute, as he may think fit, according to the scale laid down by the Registrar, after taking into account the amount deposited as above.
  - (c) The Registrar may by general or special order specify the scale of fees and expenses to be paid to him or his nominee.

#### Chapter VII MISCELLANEOUS

An appeal under section 70 or sub-sections (1) and (2) of section 74 shall be 54. made in writing and shall be either presented in person or sent by registered post to the appellate

Appeal. Sections 70 and 74

**Explanation.**— For the purposes of this rule and rule 55, 'appellate authority' means-

- in respect of an appeal under section 70, the State Government;
- (b) in respect of an appeal under sub-sections (1) and (2) of section 74, the State Government or such officer or authority as may be empowered by a notification in the Official Gazette by the State Government in that behalf.
- (2) The appeal shall be in the form of a memorandum accompanied by fees prescribed in Appendix I.
  - (3) Every appeal shall
    - specify the names and addresses of the appellant as well as the respondent;
    - (b) by whom the order appealed against was made;
    - set forth concisely and under distinct heads the grounds of objections to (c) the order appealed against with a memorandum of evidence;
    - (d) state precisely the relief which the appellant claims;
    - give the date of the order appealed against.
- On receipt of the appeal, the appellate authority shall, as soon as possible, (1) examine it and ensure that-

disposal of appeal. Section 74

- whether relevant fee has been paid on the appeal memorandum; (a)
- the person presenting the appeal has the locus standi to do so; (b)
- it is made within the specified time limit; and (c)
- (d) it conforms to all the provisions of the Act and these rules.
- In the proceedings before the appellate authority, the appellant and the respondent (2) may be represented by an agent holding a power of attorney or by a legal practitioner.
- The appellate authority, on the basis of the enquiry conducted and with reference to the records examined, pass such order on appeal as may deem just and reasonable.
- Every order of the appellate authority under sub-rule (3) shall be in writing and it shall be communicated to the parties concerned and the Registrar.
- The records of a chit, including registers and books of account shall be preserved in the office of the Registrar for eight years-
  - (a) from the date of release of the security in the case of chit which are terminated;
  - from the date when the affairs of the chit are completely wound up in case dealt (b) with in Chapter X of the Act: and
  - if orders passed under that Chapter are appeal-able, from the date of disposal of (c) the appeal.
- 57. Any officer empowered by the State Government shall issue a show cause notice before taking any action under section 76 or section 77 of the Act against any person who has committed, or reasonably suspected to have committed any offence under the Act and these rules asking him to show cause within a period of fifteen days, why action under the said section 76 or section 77 of the Act, as the case may be, may not be taken against him.
- Compounding of offences Section 81

Period of retention

of records by

Registrar.

Section 89

- Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), -(2)
  - any officer empowered by the State Government under section 81 to compound the offence committed under the Act, or reasonably suspected to have committed any offence under the Act or these rules may compound the said offence committed by any person, either before or after the institution of the criminal proceedings under the Act:

Hearing and

Provided that the said proposal to compound the offence is accepted by any officer authorised by the State Government.

- (ii) on an approval of the said proposal by the officer empowered to approve such a proposal referred to above, the officer empowered to compound the offence shall send an intimation in writing in that behalf to that person specifying therein-
  - (a) a sum not exceeding 0.5% of the value of the chit subject to maximum of Rs.50,000/-.
  - (b) the date on or before which the sum shall be paid.

Rate of interest for defaulted installment of subscription by a non-prized subscriber. Section 28 **58.** The rate of interest payable by a defaulting subscriber in pursuance of the proviso to sub section (1) of section 28 of the Act shall be prevailing Base Rate as per Reserve Bank of India +3% per annum.

## FORM-I

(See rule 3)

Form of application obtaining previous sanction to commence of	
From	Place: Date:
	Date.
To	
The Registrar,	
Chit Fund,	
Sir,	
I,, son / wife / daughter of	residing
at , on behalf of	(name of
the firm, company, corporation, society, etc.), situated at/ having its registered offic desire to commence or conduct a chit as foreman at	e at
(here specify the place with postal address in detail). Full particulars in this regard ar	re given in the Annexure hereto.
2. A certified true copy of the resolution passed by the Managing Committee/held on (here mention date) for commencing or conducting the chit in	
3. I remit herewith a sum of Rs.(in fig words), being the fees prescr	gures) Rupees(in ibed for the purpose.
4. I hereby certify that the aggregate chit amount of the ch figures) Rupees(in words) on the date exceed the aggregate chit amount prescribed under section 13 of the Chit Fund Act, 19	nits run by me, is Rs.(in
5. Total chit amount of chits for which previous sanction to commence or registered so far is Rs.(in figures)Rupees (in words)	
6. Chit amount for which previous sanction now sought is Rs.(in figure (in words)	es)Rupees
7. I hereby furnish the security prescribed under section 20 (1) of the Chit Fu 1982) as per details given below:-	and Act, 1982 (Central Act 40 of
(a) (i)	
(ii)	
(b)	
(c)	
	ere mention date) is Rs. (in
9. I request you to accord your previous sanction for commencing or conductir	
On receipt of such sanction, further steps for registration etc. of the chit will be taken	
Yours faithfu	
	•
(NAME OF THE FOR	REMAN)
	FOREMAN
For or on behalf of	
(Name of the Firm/Co	ompany etc.)

**Enclosures: Sheets** 

## ANNEXURE STATEMENT OF PARTICULARS

1. Name and address of the company/association of individuals/ cooperative society /partnership/ sole proprietorship (addresses of the Registered as well as the Head Office/Administrative office, if any.	
2. Constitution i.e., whether incorporated as company/ cooperative society or registered/ unregistered association of individuals / partnership/sole proprietorship. (Also specify the provision of the Act under which incorporated/registered along with the date of incorporation/registration).	
3. Names and addresses of the branches/ offices, if any.	
4. Main objects of the institution (enclose a copy of the Memorandum and Articles of Association and the Bye Laws or rules regulating the activities of the institution).	
5. Names, occupations and residential addresses of the directors or as the case may be, of the promoters/members of the committee of management/partners etc. and their specimen signatures.	
6. Name and residential addresses of the Chief Executive Officer and two other officers immediately next to him in the managerial set-up.	
7. Names of the bankers and their addresses.	
8. Names of the auditors and their addresses.	
9. Particulars of the chit(s) to be started (such as the chit amount, duration of the chit, frequency of the draws, manner of draws etc., also attach a copy of the draft of the chit agreement to be entered into with the subscribers).	
10. Places where the chit scheme(s) are proposed to be conducted.	
11. Names and addresses of the associate companies/cooperative societies/ associations of individuals/ partnership/ sole proprietorships.	
12. Names, occupations and residential addresses of the directors or as the case may be, of the promoters/ members of the committee of management, etc. of the institutions/referred to in item 11.	
I solemnly declare that the facts stated herein as also in the en information and belief.	aclosures are true to the best of my knowledge,
Dated this day of 20 at	
	Name(s) Signature(s)
	Designation(s)
*for and on behalf of	

- **Note.—** (i) If the space against any item is inadequate for furnishing full particulars, the required information should be given in separate sheets indicating the cross reference against the relative item of this statement.
  - (ii) A copy each of the latest available audited Balance Sheet and Profit and Loss Account, if any, shall be attached.

<sup>\*\*</sup> Here enter the name of the applicant institution, if any. Strike out whatever is not applicable.

REGISTRAR, CHIT FUND

## FORM II

(See rule 4]

## Form of granting previous sanction for commencement or conduct of chit

То	The Forema	1,			
Subjects	: Pre	, evious sanction for	or commencement/conduct o	f a chit.	
Sir/Mad	am,				
above, I	Winhereby accor	h reference to y	our application no	dated, oduct of chit as per details giv	on the subject cited en below:
Chit A	mount(Rs.)		Duration of the chit	Subscription amount (Rs.)	
issue of	The this previous		shall lapse if the chit is not re	egistered within twelve mon	ths from the date of
					Yours faithfully,

#### FORM III

(See rule 6)

#### **Application for registration of the Chit Agreement**

inplication for registration of the	mit rigi coment	
		Place:
		Date:
0		
The Registrar of Chits,		
ear Sir,		
. I,son/daughter/wife of,son/daughter/wife of	of Shri	being the
oreman conducting chit under the name and style ofegistration of the chit agreement.	at	hereby apply for
The chit agreements in duplicate duly affixed with adhesive sta	mps of five rupees o	n both copies and stamped.
Non-judicial stamp papers worth one percent of chit amount por Rs.(in figures) Rupees(in words) ne Haryana Chit Funds Rules, 2013 in Appendix II is/are enclosed.		
The number of current chits which are running as on the date erein is and the aggregate chit amount of these chits within the limits specified in section 13 of the Chit Funds Act, 1982(C)	involved therein is F	Rs which is
Total chit amount of chit for which previous sanction to commor which is pending is Rs.(in figures)upees (in words)		
A certified true copy of the previous sanction obtained under sonduct of the chit in question is enclosed.	ection 4 of the above	e Act for commencement or
The list of subscribers (in duplicate) with their names, father's umber is enclosed.	s/husband's names, o	complete address and ticket
DECLARATION		
I have read the Chit Funds Act, 1982(Central Act 40 of 1982) here under and I declare that the chit agreement has been drawn up in the Rules.		
I hereby declare that I have not been convicted of any of egulating Chit business and sentenced to imprisonment for any such of		ct or under any other Act
0. I hereby declare that I have not been convicted of any offer apprisonment of any such offence or that a period of five years has ela		
1. The above statements are true and complete to the best of my	knowledge, informa	ation and belief.
		Yours faithfully,

(NAME OF FOREMAN)

EODEMAN

**FOREMAN** 

For and on behalf of (Name of the Company or firm).

## FORM IV

(See rule 8)

## **Endorsement of Registration of a chit agreement**

I hereby certify that the chit agree	eement relating	to the chit	proposed to b	be conducted by
	( the	name and a	ddress of the Fo	reman should be
filled in here) as a Foreman on thissub-section (2) of section 7 of the Chit	day of	20	_has been regist	ered by me under
Funds Act,1982 (Central Act 40 of 1982) as Chit	No of 2	20		
This registration shall lapse if the Forer required under sub-section (1) of section 9 of the				of chit tickets as
Given under my hand and seal t	his	day of _		20
at				
				Registrar
				(Seal)

## FORM V

(See rule 11)

## APPLICATION FOR APPROPRIATION FROM THE RESERVE FUND

					Place:	
					Date:	
То						
10						
The Registrar of Chits,						
Dear Sir,						
seek your approva	l for	appropriating a	a sum of	Rs. (in	ntral Act 40 of1982), I he figures),Rupeonds of the Company.	es(in
withdrawal has been nece		-				
(Here state the circumstar					• ,	
two accounting years as a 20(here mention	also a pro A true on date) f	oforma of the balance copy of the resolution for appropriation of the	e sheet and profit on passed by the ne said sum from	and loss according Con	If the balance sheet for the unt for the current year en mmittee/Board of Director and is also enclosed. I sha	nded s on
glad to furnish such furthers.  3. I remit herewith		• •		uorda)	(in the shape of c	ourt
fee stamp) being the fees			Kupees(iii v	voius)	(in the shape of c	ourt
	late of ap	plication is Rs.			aggregate amount of chits prescribed under section 1	
5. I shall be glac Rupees(in words)	-	will kindly grant us	-		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
					Yours faithf	ully,
					(FOREM	AN)
					Name of Fore	man

for and on behalf of (Name of the firm/Company)

## FORM VI

(See rule 12)

## DECLARATION OF FULL SUBSCRIPTION OF CHIT TICKETS

		Place:
		Date:
Го		
The Registrar of Chits,		
Dear Sir,		
Vide your letter No, dated sanction to commence/conduct a new chit amounting to Rs.		
I have subsequently enlisted the required number of section 9 of the Chit Funds Act, 1982(Central Act 40 of have been fully subscribed.		
3. I remit herewith a sum of Rs. (in figures) the fees prescribed for this purpose of filing this declaration		(in words) being
		Yours faithfully,
		rours faithfully,
		(NAME OF THE FOREMAN)
		Г
	for and	Foreman d on behalf of the Company/firm

#### FORM VII

(See rule 13)

#### CERTIFICATE OF COMMENCEMENT OF CHIT

		Office of the Regis	strar of Chits,	
				PLACE:
				DATE:
natters have been duly o	complied with b	by the foreman, nam	ng to previous sanction, reg	, the certificate of
Chit Registration No.	No. of subscribers	No. of instalments	Chit Amount (in Rupees)	Date fixed for 1st Draw or auction of the chit

Registrar, Chit Funds (Seal)

## FORM VIII

(See rule 14)

# CERTIFICATE OF FURNISHING A COPY OF CHIT AGREEMENT TO EVERY SUBSCRIBER OF A CHIT

То	
The Registrar of Chits,	
Dear Sir,	
I Company, chit a copy of the chit agreement duly certified by respect of chit group bearing registration number	, the foreman of the Chit hereby certify that I have furnished to every subscriber of the y me to be a true copy before the date of the first draw of the chit in of 20
	commencement of the said chit granted under sub section (2) of
section 9 is	
The first draw of the said chit was held o	n
	Yours faithfully:
	(NAME OF THE FOREMAN)
	Foreman of the Company
	for and on behalf of the Company/Firm
Place:	
Date:	

#### FORM IX

(See rule 16)

NOTICE TO SUBSCRIBERS OF CHIT NUMBER20	
То	
(Name and address of the subscriber)	
Sir,	
This is to inform you that the draw in month/quarterly/half Chit No 20 in which you are one of the subscribers will be held on	
day month 20 at am/pm at	
(address).	
Kindly make it convenient to be present at the aforesaid draw in person or by your duly authori	sed agent.

Yours faithfully,

(FOREMAN OF THE COMPANY)

Name of the Foreman

For and on behalf of the Company/firm

## FORM X

(See rule 20)

## APPLICATION FOR THE SUBSTITUTION OF THE SECURITY

		Place:
		Date:
To		
The Re	egistrar of Chits,	
Dear S	Sir,	
chit, f	I propose to give the under noted security in substitution of the original security for propose for the commencement of which previous sanction had been granted by you (vide Note 1). Certain other particulars are also given below	
1.	Name of Foreman:	
2.	Age and occupation, if the foreman is not	
	a firm or a company:	
3.	The office in which the chit agreement of	
	the chit has been registered and the	
	number and year of registration.	
4.	Chit amount:	
5.	Details of the original security given:	
6.	Details of security offered as substituted security:	
7.	Reasons for the substitution of the original security:	
knowle	I hereby declare that the information and particulars furnished herein are true and correct edge, information and belief.	to the best of my
		Yours faithfully
	(NAME OF T	HE FOREMAN
	Foreman	of the Company
	For and on behalf of the	e Company/firm

#### **DECISION OF REGISTER**

(Seal) Signature of Registrar

#### FORM XI

[See rule 25(a)]

#### FORM OF REGISTER OF SUBSCRIBERS

Office where the ch							
The registration nu	mber and year of	registration	of chit	agreement	of the	Chit	
Assignment of insta	llment No. of Ins	stalments	Date	of first auct	ion		
7 issignment of motor	110.01111						
		SUBS	CRIPTI	ON OF CH	ш		
Serial Number As per Chit agreement	Name and full address the subscriber	Date of si of the chit agreemen		Date of recoff the copy of the chiragreement the Subscr	y t by	Number of tickets held	Amount of tickets held
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6) Rs.
		ASSI	GNME	NT OF CH	ΙΤ		
Name and address of the assignee	Date of assign	ment N	umber o	f tickets	Amo assig	unt of Ticket ned	Date on which the Foreman recognized the assignment
(7) (Rs.)	(8)		(9	9)		(10)	(11)
REMOVAL OF S	UBSCRIBER						
Reason Date For Removal	Date of Remo	no su	otice of rabscriber ction 28	rvices of removal on runder (1) of the	copy section	of filling true of entry under on 28 (2) of the with the strar	Decision of Registrar on Appeal, if any, under section 28 (4) of the Act
(12)	(13)		(1	4)		(15)	(16)
		SUBS	TITUTI	ON OF CH	IIT		
Date of Substitution	Date of filing of ture Copy of entry with the Registrar Under section 29 (2) of the Act	No. of Tio	eket	Amount of Ticket	f	Date of draw or prize by the substituted for the defaulting subscriber	Date and amount paid to the defaulting subscriber (Section 30)
(17)	(18)	(19	)	(20)	)	(21)	(22)
Date of Deposit of amount in the bank with details			emarks				
(23)	(24)		(2	25)			

## FORM XII

[See rule 25(b)]

## FORM OF THE LEDGER

Office where the	chit agreement of the	chit is re	gistered					
Registration num	ber of the Chit Agree	ment						
Section -I-Recei	pts and payments in re	espect of	subscriber_			_		
Number of subsc	riber	:		Date of	Prizing	:		
Name of subscrib	Name of subscriber			Date of	Auction	:		
Father's/Husband	l's Name	:		Prize Aı	mount	:		
Office address w	ith Phone Number	:		Bid		:		
Residence Addre	ss with Phone Numbe	er :		Date of	commen	cement :		
Number of ticket	s taken	:		Date of	Termina	tion :		
Chit amount		:		Months	& Montl	hly Instlament:		
Date	Number of Instalment	Receipt	No.	Particulars cheque No		Inst No.	Amount of Subscription : each Instalme (Rs.)	
(1)	(2)	(	(3)	(4)		(5)	(6)	
Dividend due to the subscriber each instalment	Amount paid by subscriber	Amoun back by subscrib		General nuint the day		Interest (Debit/Credit)		
(7)	(8)	(	(9)	(10)	)	(11)		
Signature of Foreman	Amount received back by the Subscriber	Balance (Debit/0		Signature of Subscriber				
(12)	(13)	(	14)	(15)	)			
Section II-	Deposit and withdraw Name of the Bank in							
Date	For what purp withdrawn	oose or	Amount d	eposited	Interest	accrused	Balance after each transaction Rs.	
(1)	(2)			3) As.		(4) Rs.	(5)	
Amount Withdr	awn Balance		Number in book	n the day	Signatu Forema		Remarks	
(6)	(7)		(	8)		(9)	(10)	

#### FORM XIII

[See rule 25(c)]

#### FORM OF THE DAY BOOK

Office where the chit a	greement of the chit i	s registered				
Registration number of	the agreement					
		DAY BOOK				
Date General Number On what accounts received or paid						
(1)		(2)		(3)		
Receipt						
Subscriptions	Interest	Withdrawal From bank	Other items	Total receipts		
(4) Rs.	(5) Rs.	(6) Rs.	(7) Rs.	(8) Rs.		
Reference		Payn	nents			
Of receipt						
In the Receipt Book	Amount paid to subscriber	Foreman's Commission	Deposit in the bank	Other items		
(9) Rs.	(10) Rs.	(11) Rs.	(12) Rs.	(13)		
Total Payments	Balance	Reference to the page number of the voucher in the file of voucher	Signature of Foreman	Remarks		
(14) Rs.	(15) Rs.	(16)	(17)	(18)		

#### Note:-

- 1. The balance should be struck in column (15) at the close of each day. The monthly total of receipts and Payments shall be struck at the end of each month.
- 2. In column (2), each transaction shall be assigned a serial number. There shall be one separate set of serial numbers for each calendar year.
- 3. If any amount is received from or paid to more than one subscriber at a time, the amount paid to or received from each subscriber should be entered as separate item.
- 4. If more than one amount is received from or paid to the subscriber at a time, each amount paid to or received from each subscriber should be entered as separate item.

#### FORM XIV

{See rule 25(i)}

## FORM OF REGISTER SHOWING THE AMOUNTS DEPOSITED IN APPROVED BANKS IN RESPECT OF ALL CHITS CONDUCTED BY THE FOREMAN.

The Registration N	Number and year						
of Registration of	the Chit Agreeme	ent	:				
Details of subscrip	Details of subscriptions, Prize amounts and amounts deposits:						
Serial number	Name and	Number of	Amount of	Amount of	Name of the	Date o	

Office where the Chit agreements is registered

Serial number according to the Chit Agreements.	Name and full address of the subscriber	Number of instalments and date of draw	Amount of future subscription deducted from the prize amount	Amount of unpaid prize amount	Name of the approved Bank and the amount deposited	Date of deposit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

#### FORM XV

(See rule 28)

## RECEIPT AND PAYMENTS ACCOUNT AND STATEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES OF CHIT GROUP : \_\_\_\_

(i)	Office where the Chit Agreement	(i)	Registration Number and year of the
	is registered		Chit Agreement
(ii)	Date on which the balance sheet was	(ii)	Name of the Foreman
	prepared		
(iii)	Number of instalments conducted till	(iii)	Chit amount
	date of balance sheet		
		(iv)	Number of instalments.

#### 1. RECEIPTS AND PAYMENTS

Recei	pts	Current year	Total including previous year	Payments	Current year	Total including previous years	
	(1)	(2) Rs. p.	(3) Rs. p.	(4)	(5) Rs. p.	(6) Rs. p.	
1.		on paid by the prize	zed and non-prized reman	1.	Prized amounts disbursed to prized subscribers.	0	
2.	Receipts under dividend			2.	Interest paid to subscribers.		
3.	Interest realised from the subscribers. prized subscribers.			3.	Amount paid to defaulter n	on-	
4.	Contributions by substituted or assignee non- prized subscribers in respect of dues of defaulters.			4.	Amount contributed by fore- man for payment of the prized amount.		
5.	Any other	Any other amount received from subscribers.			Foreman's commission.		
6.	Amount contributed by the foreman for payment of prize amount (or on account arrears of subscriptions)			6.	Amounts on account of interealised for delayed paymer and forfeited dividend		
7.	Amount contributed by the foreman for investment.		Foreman for	7.	Dividend paid		
8.	Interest acc	crued from invest	ment	8.	Sinking Fund.		
9.	Other item	S		9.	Dividend payable on arrear	S	
10.	Investmen	t withdrawn		10.	Other items		
				11.	Investments made (includir accrued interest)	ng	
	Grand total			Grand T			

## II. STATEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES.

Assets	Rs. p.	Lia	bilities	Rs. p.
1.	Amounts due on account of arrears of Subscription due(including dividend payable)	1.	Amount paid by non (including dividend)	prized subscribers
	from :-			
	(a) prized subscribers			
	(b) non-prized subscribers			
2.	Amounts due from the subscribers including the foreman towards future subscriptions	2.	Amounts due to non	prized defaulter subscribers.
3.	Interest due from defaulter subscribers	3.	Arrears of prized am subscribers.	ount due to Prized
4.	Investments in bank (including interest thereon.)	4.	The amount due to the contributions made by	ne Foreman towards by him, for prized amount
		5.	The amount due to the contributions made by	ne Foreman towards by him, for investment
		6.	Amount payable by towards future subsc	non-prized subscribers riptions.
		7.	Un-disbursed divide	nd on :-
			(a) Auction No all the subscri	
			(b) Arrears of sub and non-prize	scriptions due from prized d subscribers
5.	Other items (details to be annexed)	8.	Other items (details	to be annexed)
6.	Sinking Fund	9.	Sinking Fund.	
Total		Total		

## III. DETAILS OF INVESTMENTS RECEIPTS

1.	Investments made on account of the failure on the part of prized subscribers to receive the prized amount due to them	Rs. p.
2.	Investments made on account of lump sum collection made from defaulter prized subscribers.	
3.	Amount deposited for payment to non prized defaulter subscribers	
4.	Investments on account of other items of receipts of the chit (details to be annexed).	e
		Total
	IV ASSESSMENT OF VALUE OF INVESTM	ENT
1.	Investment in Pass Book Account Number	
2.	*Amount due from the future instalments of the chit as per bonds etc. obt the chit including the arrears of Rsdue on account of defaulting i	
3.	Balance of contributions due from the foreman on account of prize amoun	t received by him.
Note:-	- To facilitate audit of balance sheets, the following statements of details the balance sheet.	should be annexed by the foreman to
* Parti	culars of documents to be entered here.	
(i) (ii)	Statement of details of receipts and expenditure for each instalments.  Of disbursement.	
(iii)	Of the prize amount in respect of each instalments and	
(iv)	Statement of details of arrears due on the date of the preparation of the before the prized and non prized subscribers.	alance sheet
etc. ob	Security offered by the foreman, hypothecation bonds etc. executed und tained from the prized subscribers under section 31 of the Act.	er section 20, and hypothecation bonds
	V. CERTIFICATE BY FOREMAN	
statem	I certify that the above accounts have been prepared correctly and the ent of the affairs of the chit.	at they contain a true and complete
DATE	: Name an	d Signature of Foreman

## VI. CERTIFICATE BY AUDITOR

Certified that I have examined the chit book and records mair	ntained in respect	of the chit	the chit
agreement of which are registered in	as number_	20	conducted
by foremanand have verified the entries in the accounts	with the books.	The accounts are	e drawn up in
conformity with the provisions of the Chit Fund Acts, 1982 and the Ru	iles framed hereu	nder.	
Date	Name and Sign	nature of the Au	ditor
	Office seal and	l Membership N	0.

Before:

#### FORM XVI

(See rule 45, 46 and 53)

#### APPLICATION FOR REFERENCE OF A DISPUTE TO ARBITRATION

The Re	gistrar/Additional /Jo	oint/Deputy/Assistant l	Registra	r			
1.	Name:	Age:					
	Occupation:	Address					
2.	Name:	Age:					
	Occupation:	Address		Disputants			
3.	Name:	Age:					
	Occupation:	Address					
			VEI	RSUS			
1.	Name:	Age:					
	Occupation:	Address					
2.	Name:	Age:					
	Occupation:	Address		Opponents			
3.	Name:	Age:					
	Occupation:	Address					
(Here g		f the claim or the facts utants prays/pray as un		ase constituting the cause	se of action when it arose etc.)		
1 .		bove claim or relief so	ought, I	/We enclose document	s and papers as per the list annexed		
hereto.				(C:4)			
	Date :			(Signed)			
				Disputant /Disputa	INTS		
I/We,				,disputant/disputan	ıts		
	declare that the facts	stated above are true t	o the be	st of my /our knowledge			
				, ,			
Date:		(Sign	ed)	(1)			
				(2)	Disputants		
				(3)			

IARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.). FEB. 1. 2018 (MAGH. 12. 1939 S	HARYANA	GOVT	GAZ	(EXTRA)	FEB 1	2018 (MAGH	12 1939	S
---	---------	------	-----	---------	-------	------------	---------	---

Filed in the office of	on	20
THEU III HIE OTHEE OF	OH	20

#### Note.—

- (1) In case there are more disputants or opponents their names, addresses, ages and occupations should also be mentioned.
- (2) In dispute relating to monetary claims, the disputants should state the precise amount claimed but where this cannot be exactly ascertained, the disputants shall state the approximate amount claimed.
- When the disputant/foreman is a company/co-operative society or a partnership firm, a copy of the resolution of its Board of Directors or Managing Committee, as the case may be, shall accompany the application.

## FORM XVII

(See sub-rule (c) of rule 2)

(Form of letter of authority)

Ι, _		Ι,	who/am/is	(name)		(design	ation)	of	M/s_	
being	a foreman of the	chit series	No	registered	under	registration	No.		hereby	appoint
	as my author	ocuments a		•						
necess	ary steps in the matte	er.								
I/We a	gree to ratify all acts	done by th	e said Shri	in pu	ırsuanc	e of this auth	ority.			
Date:						Sig	gnature:			
						De	signatio	n:		

## APPENDIX-I

[See rule 42,30, 49(b) and 54(2)]

Levy of fees under sections 62 and 63 of the Chit Funds Act, 1982 and the rules made there under:-

#### TABLE OF FEES

Sl. No.	Descriptions	Amount to be Deposited through Cashless mode (Rs.)	Court Fees/ Non- judicial stamp paper (Rs.)
1.	For the application of previous sanction to commence or conduct a chit under subsection 2 of section 4.	Ten thousand rupees	
2.	For filing of chit agreement under subsection(1) of section 7 for each agreement duly affixed with adhesive stamp of Rs. 5/- on both copies.		One percent of the chit amount in the shape of non-judicial stamp paper.
3.	For the application for approval of appropriate sums from reserve funds under sub section (4) of section 8		Five rupees (court fee)
4.	For filing the declaration with the Registrar and the grant of a certificate of commencement under sub-section (1) of section 9.		Five rupees (court fee)
5.	For filing of a certificate under sub-section(2) of section 10		Five rupees (court fee)
6.	For filing a copy of the minutes of the proceedings of every draw under section 18 per auction minutes		Five rupees (court fee)
7.	For every application for registration of an alteration, addition or cancellation of any provision in a chit agreement under rule 15		Five Rupees (court fee)
8.	A fee shall be levied in each case for filing with the Registrar-  (a) A copy of each entry relating to the removal of defaulting subscriber under sub-section (3) of section 28.  (b) A true copy of each entry relating to the substitution of a subscriber under sub-section (2) of section 29.  (c) A true copy of entry relating to transfer of the rights of foreman under section 37.  (d) A copy of entry relating to transfer of non-prized subscriber's rights under section 37.  (e) A true copy of assent of non-prized subscribers and unpaid prized subscribers for withdrawal of Foreman under section 41.		Five rupees (court fee) for (a) to (f).

## 172 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), FEB. 1, 2018 (MAGH. 12, 1939 SAKA)

	<ul> <li>(f) A true copy of consent of all nonprized or unpaid prized subscribers to the termination of chit under section 41.</li> <li>(g) Each petition protesting against or objection to the order passed or proposed to be passed by the Registrar.</li> </ul>	Fifty rupees
9.	For the audit of accounts under subsection(4) of section 61 by the chit auditor:-	
	(a) When the chit amount does not exceed Rs. 30, 000/	One hundred rupees
	(b) When the chit amount exceeds Rs. 30, 000/- but does not exceed Rs.1 Lakh.	Two hundred rupees
	(c) When the chit amount exceeds Rs. 1 Lakh but does not exceed Rs. 5 Lakh.	Five hundred rupees
	(d) When the chit amount exceeds Rs. 5 Lakh	One thousand rupees
10.	For inspection of one or more records relating to a chit under section 62 for each chit group.	Ten rupees for one hour and five rupees for each subsequent hour (or fraction thereof)
11.	For obtaining a certified copy of any document.	Two rupees for each page (in A.4 or A3 Size paper) and actual charge or cost price of a copy in large size paper
12.	For every appeal to the State Government under section 74.	Five hundred rupees

P. RAGHAVENDRA RAO, Additional Chief Secretary to Government Haryana, Finance Department.